



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082024-256015
CG-DL-E-02082024-256015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]
No. 588]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2024/श्रावण 10, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2024/SHRAVANA 10, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

सं. एल-1/271/2024/सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 28 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2024 है।
- ये विनियम राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और आयोग द्वारा जब तक पूर्ववर्ती समीक्षा न की गई हो या उसे विस्तारित न किया गया हो, दिनांक 1.4.2024 से 31.3.2029 तक की नियंत्रण अवधि के दौरान लागू होंगे।

2. विस्तार तथा लागू होना

- ये विनियम उत्पादन कंपनियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, थोक उपभोक्ताओं अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, क्रेताओं, विक्रेताओं, अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों, व्यवस्थापन नोडल एजेंसी (एसएनए) और कोई अन्य उपयोगकर्ताओं से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले फीस एवं प्रभारों के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं:** इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (1) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
- (2) 'अतिरिक्त पूंजी व्यय' से आरएलडीसी और एनएलडीसी द्वारा नियंत्रण अवधि के दौरान किया गया या किए जाने हेतु अनुमानित और प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय अभिप्रेत है।
- (3) 'वार्षिक एलडीसी प्रभार (एएलसी)' से आयोग द्वारा यथा अनुमोदित आरएलडीसी और एनएलडीसी द्वारा किए जाने वाले वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए संकलित राजस्व आवश्यकता (एआरआर) अभिप्रेत और इसमें शामिल है।
- (4) 'संपरीक्षक' से समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धाराओं 224, 233ख और 619 के उपबंधों या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय X, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार ग्रिड-इंडिया द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अभिप्रेत है;
- (5) 'बैंक रेट' से प्रभाव में उस समय के लिए समय-समय पर जारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एक वर्ष मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) या उसका कोई प्रतिस्थापन, जमा 100 बेसिस प्वाइंट्स अभिप्रेत है;
- (6) 'विलंब भुगतान अधिभार की बेस दर' का वही अर्थ होगा जैसा कि विद्युत मंत्रालय - विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 में यथा परिभाषित है।
- (7) 'क्रेता' से प्रादेशिक इकाई के अलावा सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) के अधीन विद्युत खरीदने वाली इकाई अभिप्रेत है और जिसकी शेड्यूलिंग, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के माध्यम से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा समन्वित है;
- (8) 'पूंजी लागत' से इन विनियमों के विनियम 13 में यथा परिभाषित पूंजी लागत अभिप्रेत है;
- (9) 'पूंजी व्यय' या 'केपेक्स' से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र [कॉर्पोरेट केन्द्र (सीसी) सहित], यथास्थिति, की आस्तियों के निर्माण के लिए नियंत्रण अवधि के दौरान किए जाने हेतु नियोजित पूंजीगत प्रकृति का व्यय अभिप्रेत है;
- (10) 'प्रभारों' से राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों और ग्रिड-इंडिया द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा मासिक आधार पर संग्रहित किए जाने वाले आवर्ती भुगतान अभिप्रेत हैं;

- (11) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (12) 'नियंत्रण अवधि' से दिनांक 1.4.2024 से आरंभ पांच वर्षों की अवधि अभिप्रेत है;
- (13) 'दिन' से 00:00 बजे पर आरंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
- (14) 'व्यतिक्रम करने वाली इकाई' से वार्षिक एलडीसी प्रभारों के बकाया देय वाले आरएलडीसी और एनएलडीसी का कोई उपयोगकर्ता अभिप्रेत है.
- (15) 'डीफॉल्ट ट्रिगर तारीख',
- (i) देय के गैर-भुगतान के मामले में, आरएलडीसी द्वारा बिल की प्रस्तुतिकरण के 75 दिन बाद होगी, और;
 - (ii) भुगतान सुरक्षा तंत्र के गैर-रखरखाव के मामले में, पुनः पूर्ति किए जाने के लिए देय परंतु पुनः पूर्ति नहीं किए गए भुगतान सुरक्षा तंत्र के बाद अगला बैंक कार्य दिवस होगा।
- (15) 'देय तिथि' से आरएलडीसी द्वारा बिल की प्रस्तुति की तारीख से 45 दिन अभिप्रेत हैं;
- (16) 'प्रभावी कर दर' टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 31 के अनुसार होगी;
- (17) 'व्ययित व्यय' से उपयोगी आस्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए, वास्तविक रूप से परिणियोजित और नकद या नकद समतुल्य में दी गई निधि, इक्विटी या कर्ज या दोनों अभिप्रेत हैं और इसमें वे प्रतिबद्धताएं और देयताएं शामिल नहीं हैं जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है;
- (18) 'फीस' से ग्रिड पहुंच और अनुसूचीकरण के आरंभ के लिए दी गई सेवाओं के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा और समय-समय पर आयोग द्वारा पंजीकरण, सदस्यता यथा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रयोजन के कारण संग्रहित गैर-प्रतिदेय नियत भुगतान अभिप्रेत है;
- (19) 'भार प्रेषणकर्ताओं के फोरम (फोल्ड)' से विनियामक फोरम (एफओआर) द्वारा गठित निकाय और एनएलडीसी में सचिवालय के साथ इसके सदस्य के रूप में एनएलडीसी, आरएलडीसी, और एसएलडीसी अभिप्रेत है;

- (20) 'ग्रिड पहुंच' से लागू सीईए मानकों और सीईआरसी विनियमों के अनुसार तकनीकी अपेक्षाओं की पूर्ति पर, उत्पादन केन्द्र, उत्पादन केन्द्र के स्टेज या यूनिट सहित, या अनुज्ञप्तिधारियों या क्रेताओं या विक्रेताओं या थोक उपभोक्ता के ग्रिड के साथ समाकलन के लिए संबंधित आरएलडीसी द्वारा प्रदान की गई अनुमति अभिप्रेत है;
- (21) 'ग्रिड कंट्रोलर आफ इंडिया लि. (ग्रिड इंडिया)' से अधिनियम की धारा 26 के अनुसार एनएलडीसी के प्रचालन और अधिनियम की धारा 27 के अनुसार आरएलडीसी या अधिनियम के अधीन समय-समय से आयोग या भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सौंपे गये कार्य के लिए कंपनी अभिप्रेत है;
- (22) 'मानव संसाधन व्यय' या 'एचआर व्यय' से इन विनियमों के अनुसार आरएलडीसी, एनएलडीसी (निगमित केन्द्र सहित), और अन्य इकाइयों के मानव शक्ति के प्रशिक्षण और मानव संसाधन, मानव संसाधन विकास पर किया गया खर्च, अभिप्रेत है;
- (23) 'एलडीसी विकास निधि' इन विनियमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ग्रिड इण्डिया द्वारा रखी गई और सृजित निधि है;
- (24) 'विलम्बित भुगतान अधिभार' से देय तारीख के आगे आरएलडीसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान में विलम्ब के कारण आरएलडीसी के प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा संदेय प्रभार अभिप्रेत है;
- (25) 'अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;
- (26) 'बाजार प्रचालन कृत्य' से इन विनियमों के विनियम 6 (1) के अनुसार विद्युत बाजार से संबंधित कृत्य अभिप्रेत है;
- (27) 'राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र' या 'एनएलडीसी' से अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर के भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत हैं;
- (28) 'प्रचालन और रखरखाव खर्च' या 'ओएण्डएम खर्च' से इन विनियमों के विनियम 21 में यथापरिभाषित ओएण्डएम खर्च अभिप्रेत है;
- (29) 'अन्य समर्थन कृत्य' से आरएलडीसी और एनएलडीसी द्वारा किए गए कार्य और इसमें कराधान और टीडीएस सामंजस्य, लेखा, निपटान, बिलिंग और संग्रह, अनुबंध, मानव संसाधन शासन, प्रबंधन सूचना प्रणाली, कानूनी और नियामक मामलों और इनपुट के लिए नीति निर्माण और केन्द्रीय आयोग या भारत सरकार द्वारा समय समय से यथाविनिर्दिष्ट अन्य कार्यों में सहायता शामिल है लेकिन सीमित नहीं है, अभिप्रेत है;

- (30) 'अर्हक समन्वय एजेंसी' या 'क्यूसीए' का वही अर्थ जैसा केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 में परिभाषित है;
- (31) 'ब्याज की संदर्भ दर' से टैरिफ विनियम 2024 में यथापरिभाषित दर है;
- (32) 'प्रदेश' से अधिनियम की धारा 25 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई एक प्रलेखित प्रदेश अभिप्रेत है;
- (33) 'प्रादेशिक इकाई' से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन, संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रादेशिक स्तर पर की जाती है;
- (34) 'प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र' या 'आरएलडीसी' से अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रत्येक प्रदेश के लिए केन्द्र अभिप्रेत है;
- (35) 'विनियामक पूल लेखा' से बाजार विखंडन के कारण विचलन व्यवस्थापन के प्रभारों, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों, सहायक सेवा प्रचालन, संकुलता प्रभारों एवं संकुलता राशि के संचालन के लिए आयोग द्वारा सुसंगत विनियमों या आदेशों के अधीन आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा प्रचालित लेखा या किसी अन्य लेखा जिसे आयोग के विनियमों या निर्देशों के अनुसार समय समय से आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा प्रचालित किया जा सकता है, अभिप्रेत हैं;
- (36) 'स्कीम' से आरएलडीसी, एनएलडीसी और ग्रिड इण्डिया के निगमित केन्द्र, यथास्थिति, पर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित या स्थापित से संबद्ध उपकरण और सुविधाएं अभिप्रेत है;
- (37) 'विक्रेता' से जीएनए के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय करने वाला प्रादेशिक इकाई से भिन्न इकाई और जिसका अनुसूचीकरण अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के माध्यम से आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति द्वारा समन्वित है, अभिप्रेत है;
- (38) 'राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)' से अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;
- (39) 'व्यस्थापन नोडल एजेंसी' या 'एसएनए' का वही अर्थ होगा जैसा केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2023 के अधीन परिभाषित है;
- (40) 'प्रणाली प्रचालन कृत्य' इन विनियमों के विनियम 6 (3) के अनुसार होगा;
- (41) 'टैरिफ विनियम 2024' से अभिप्राय केन्द्रीय विद्युत विनियम आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2024 होगा;

(42) 'उपयोक्ता' से वही अर्थ होगा जो इन विनियमों के विनियम 8 में यथापरिभाषित है;

(43) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(44) 'जीरो तारीख' से परियोजना के कार्यान्वयन की शुरुआत के लिए निवेश अनुमोदन में निर्दिष्ट तारीख अभिप्रेत है और जहाँ इस प्रकार की कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई है, निवेश अनुमोदन की तारीख को जीरो तारीख के रूप में माना जाएगा;

4. इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जो अधिनियम या आयोग के अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो आयोग के उक्त विनियमों या अधिनियम के अधीन उनको निर्दिष्ट किया गया है। किसी अधिनियम, नियम और विनियमों के संदर्भ में संशोधनों या समेकन या उसके पुनर्विनियमन शामिल होंगे।

अध्याय-2

सामान्य

5. पंजीकरण

(1) विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता, इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार पंजीकरण फीस का भुगतान करके और इन विनियमों के परिशिष्ट-II में यथा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन दाखिल करके आरएलडीसी या एनएलडीसी की प्रणाली प्रचालन सेवाएं पाने हेतु ग्रिड पहुंच के आरंभ के लिए संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी), यथास्थिति, के साथ निम्नानुसार पंजीकरण करेंगे:

(क) ग्रिड पहुंच का उपयोग करने के लिए इच्छुक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और स्टैंडअलोन भंडारण प्रणाली सहित सभी उत्पादन स्टेशन, थोक उपभोक्ता, क्रेता, विक्रेता, क्यूसीए, एसएनए, नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता और अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या कोई अन्य प्रादेशिक इकाई, शेड्यूलिंग, मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन और स्विचिंग प्रचालनों के लिए उत्तरदायी संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के साथ ग्रिड पहुंच के आरंभ की निर्धारित तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व स्वयं को पंजीकृत करेंगे:

परंतु यह कि जब किसी उत्पादन स्टेशन से कोई यूनिट जुड़ता है या पारेषण प्रणाली से कोई घटक जुड़ता है, तो उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, अपने रिकॉर्ड को अद्यतित करने के लिए ऐसे परिवर्धन के लिए ग्रिड पहुंच के आरंभ की निर्धारित तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित आरएलडीसी को सूचना भेजेगा;

परंतु यह और कि संबंधित आरएलडीसी को उनके द्वारा रिकॉर्ड को अद्यतित करने के उद्देश्य से प्रत्येक मास (पिछले मास के अंतिम दिन को) के 10वें दिन तक, यदि कोई हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, थोक उपभोक्ताओं, क्रेताओं, विक्रेताओं और एसएनए द्वारा अतिरिक्त जीएनए मात्रा के बारे में और ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ किए गए पारेषण घटकों के संवर्धन के बारे में अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाएगा; परंतु यह भी कि प्रादेशिक इकाइयाँ, केविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के अनुसार प्रथम बार ऊर्जाकरण मांगने से पूर्व संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, के साथ पंजीकरण करेंगे।

(ख) पावर एक्सचेंज और व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, जो आरएलडीसी और एनएलडीसी के सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक हैं, वे सेवाएं पाने की निर्धारित तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के साथ स्वयं को पंजीकृत करेंगे।

(2) पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदन की प्राप्ति के लिए स्वतः-उत्पन्न पावती, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, द्वारा जारी की जाएगी।

(3) संवीक्षा के बाद, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, आवेदन की प्राप्ति के सात (7) कार्य दिवसों के अंदर आवेदन में कमियों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगा। आवेदक, इसके बाद एक सप्ताह के अंदर कमियों को दूर करेगा, जिसमें विफल होने पर आवेदन को बंद कर दिया जाएगा।

(4) संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, पंजीकरण के लिए आवेदनों की संवीक्षा करने के बाद और आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना की शुद्धता से संतुष्ट होने पर आवेदक को पंजीकृत करेगा और इसकी लिखित सूचना आवेदक को भेजेगा।

(5) आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, उनके पंजीकरण की तारीख के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की सूची अपनी वेबसाइट पर बनाए रखेंगे।

(6) आरएलडीसी या एनएलडीसी, कम से कम एक मास का नोटिस जारी करने के बाद, (i) संयोजकता की पूरी मात्रा का समापन या (ii) जीएनए की पूरी मात्रा का समापन या (iii) नियत तारीख से 120 दिनों से अधिक के लिए इन विनियमों के अधीन कवर किए गए प्रभारों के भुगतान में निरंतर चूक के मामले में उपयोगकर्ता को विपंजीकृत करेंगे। उपयोगकर्ता,

चूक का समाधान होने के बाद, इन विनियमों के विनियम 5(1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके बाद में पुन-पंजीकरण कर सकता है।

(7) पात्र इकाइयाँ, जो आरएलडीसी या एनएलडीसी के साथ पंजीकृत हैं, और पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद जिनके नाम में परिवर्तन या विधिक प्रस्थिति में परिवर्तन हुआ है, समुचित प्राधिकरण जैसे कि संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी को कंपनी के रजिस्ट्रार या राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या किसी अन्य कोर्ट से सुसंगत दस्तावेजों के साथ सूचित करेंगे जो कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ऐसी सूचना की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने रिकॉर्ड में ऐसे परिवर्तन को अद्यतित करेंगे।

6. आरएलडीसी और एनएलडीसी के कार्य

(1) एनएलडीसी और आरएलडीसी, अधिनियम और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेंगे। कार्यों का विस्तृत वर्गीकरण, इस विनियम के उप-खंडों के अधीन उल्लिखित है।

(2) बाजार प्रचालन कार्य में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं परंतु इन तक सीमित नहीं हैं:

- (क) प्रथम बार घटकों की चार्जिंग सहित पर इन तक सीमित नहीं, नई इकाइयों को ग्रिड पहुंच की सुविधा प्रदान करना;
- (ख) निर्बाध पहुंच प्रशासन,
- (ग) ऊर्जा लेखांकन के लिए अंतर्विनियम श्रेणियों को अंतिम रूप दिया जाना।
- (घ) डे अहेड बाजार और टर्म अहेड बाजार की सुगमता और मॉनिटरिंग,
- (च) आनुषंगिक सेवा बाजार की सुगमता और मॉनिटरिंग,
- (छ) इंटरफेस ऊर्जा मीटरिंग।

(3) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी), ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों (ईएससर्ट्स) और समय-समय पर आयोग या भारत सरकार द्वारा यथा निर्देशित समान अन्य योजनाओं के अधीन पंजीकरण कार्य।

(4) प्रणाली प्रचालन कार्यों में अधिनियम या विनियमों या आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन वास्तविक समय ग्रिड प्रचालन, प्रचालन नियोजन, डे-अहेड और वास्तविक समय आधार पर श्रेणिलिंग और प्रेषण, प्रेषण पश्चात् विश्लेषण, सूचना प्रसारण

और आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, को प्रदान किए गए कोई अन्य कार्य शामिल हैं।

7. पूंजी व्यय (केपेक्स)

(1) आरएलडीसी और एनएलडीसी, ग्रिड-इंडिया के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित नियंत्रण अवधि के दौरान नई आस्तियों के निर्माण के लिए पूंजी व्यय (केपेक्स योजना) के लिए योजना तैयार करेंगे।

(2) केपेक्स में निम्नलिखित के लिए नियंत्रण अवधि के दौरान किया गया पूंजी व्यय शामिल होगा:

- (क) अनुमानित व्यय के विवरणों के साथ उन्नयन, आधुनिकीकरण, स्वचलन और अवसंरचना का विस्तार और प्रत्येक योजना की अनुमानित समापन अवधि;
- (ख) उपयोगी जीवन के समापन बाद विद्यमान आस्तियों का प्रतिस्थापन;
- (ग) प्रौद्योगिकी के अप्रचलन के कारण विद्यमान आस्तियों का प्रतिस्थापन;
- (घ) नवोन्नत आईटी और संचार प्रणालियों का अंगीकरण;
- (ङ) साइबर सिक्योरिटी आवश्यकताएं;
- (च) बेहतर ग्रिड प्रचालन के लिए कोई अभिनव परियोजनाएं, आर एंड डी परियोजनाएं और पायलट परियोजनाएं;
- (छ) आरएलडीसी और एनएलडीसी के लिए आपदा सुधार नियंत्रण केन्द्र;
- (ज) कार्यालय या आवासीय क्वार्टरों के लिए भूमि की खरीद, निर्माण और कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टरों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सिविल संरचनाओं का नवीनीकरण;
- (झ) सुचारू, सुरक्षित और दक्ष प्रणाली प्रचालन और दैनंदिन कार्यों के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रतिस्थापन या खरीद;
- (ञ) स्थापना की उच्चतर सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यकता;
- (ट) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित विधि में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं या साइबर सिक्योरिटी दिशानिर्देशों के अधीन उन्नयन के साथ सुसंगत न होने के कारण, नई

आस्तियों का संस्थापन, उनके उपयोगी जीवन के समापन से पूर्व आस्तियों या उपकरणों का प्रतिस्थापन;

(ठ) मध्यस्थता के अवार्ड को पूरा करने के लिए देयताएं या किसी सांविधिक प्राधिकरण के निर्देशों या आदेश, या विधि की किसी कोर्ट के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए।

(3) विद्यमान आस्तियों के प्रतिस्थापन के मामले में, आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, आयोग को विवरण जैसे कि प्रतिस्थापन के कारणों, प्रतिस्थापन की प्रस्तावित तारीख, प्रतिस्थापन की प्रस्तावित तारीख तक वसूल किया गया संचयी मूल्यहास, प्रतिस्थापन की प्रस्तावित तारीख तक ऋण का संचयी प्रतिसंदाय, प्रस्तावित व्यय के साथ मूल नियत आस्तियों से मूल आस्तियों के सकल मूल्य को बट्टे खाते डालना और प्रत्येक योजना की अनुमानित समापन अवधि।

(4) केपेक्स की समेकित योजनाओं के साथ निम्नानुसार व्यवहार किया जाएगा:

(क) एनएलडीसी और सभी आरएलडीसी वाले केपेक्स, एनएलडीसी की केपेक्स योजना का हिस्सा होंगे;

(ख) एक या अधिक आरएलडीसी और/या एनएलडीसी वाले केपेक्स के मामले में, प्रत्येक आरएलडीसी को प्रभारयोग्य केपेक्स को अलग किया जाएगा और वह संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, की केपेक्स योजना का हिस्सा होगा।

(5) अप्रत्याशित घटना या विधि में परिवर्तन (जहाँ अप्रत्याशित घटना और विधि में परिवर्तन टैरिफ विनियम, 2024 के अनुसार होगा) या आयोग या किसी सांविधिक निकायों के निर्देशों के कारण नियंत्रण अवधि के दौरान किए जाने वाले किसी आवश्यक केपेक्स, जो केपेक्स योजना का हिस्सा नहीं था, पर डू अप के समय विचार किया जाएगा:

परंतु यह कि जहां केपेक्स के लिए शामिल अतिरिक्त पूंजी व्यय, नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदित पूंजी व्यय के 20% से अधिक है, वहाँ नियंत्रण अवधि के दौरान पृथक याचिका दाखिल की जा सकती है।

8. उपयोगकर्ता

(1) इन विनियमों के प्रयोजन हेतु उपयोगकर्ता निम्नानुसार होंगे:

(क) उत्पादन स्टेशन या चरण या उसका यूनिट जिसकी शेड्यूलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन प्रत्येक चरण या यूनिट के लिए पृथक रूप से किया गया है, ऐसे उत्पादन स्टेशन या चरण या

यूनिट को इन विनियमों के विनियम 27 के अनुसार वार्षिक एलडीसी प्रभारों (एएलसी) की शेरिंग के प्रयोजन हेतु और इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार पंजीकरण फीस के भुगतान के लिए उपयोगकर्ता के रूप में माना जाएगा;

(ख) कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और स्टैंडअलोन भंडारण प्रणाली को इन विनियमों के उद्देश्य हेतु उपयोगकर्ता के रूप में माना जाएगा;

(ग) अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के मामले में, प्रत्येक प्रदेश जहाँ अनुज्ञप्तिधारी का प्रचालन है, को इन विनियमों के प्रयोजन हेतु उपयोगकर्ता के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह कि क्रॉस-बॉर्डर लिंक के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के उद्देश्य हेतु उपयोगकर्ता के रूप में माना जाएगा।

(घ) जहाँ कोई क्रॉस-बॉर्डर उत्पादन स्टेशन, भारतीय ग्रिड की अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ा है और जीएनए या टी-जीएनए के माध्यम से विद्युत का अंतःक्षेपण करता है, वहाँ उक्त पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के आयात के लिए किए गए संव्यवहारों के लिए शेड्यूलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन समन्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित एसएनए को इन विनियमों के प्रयोजन हेतु उपयोगकर्ता के रूप में माना जाएगा;

(ङ) जहाँ कोई क्रॉस-बॉर्डर खरीदने वाली इकाई, भारतीय ग्रिड की अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ी है और जीएनए या टी-जीएनए के माध्यम से विद्युत का आहरण कर रही है, वहाँ उक्त पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के निर्यात के लिए किए गए संव्यवहारों हेतु शेड्यूलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन के समन्वय के लिए भारत सरकार द्वारा नामित एसएनए को इन विनियमों के उद्देश्य हेतु उपयोगकर्ता के रूप में माना जाएगा;

(च) सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) जिनकी शेड्यूलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन संबंधित आरएलडीसी द्वारा किया जाता है, उन्हें इन विनियमों के प्रयोजन हेतु संबंधित प्रादेशिक भार पारेषण केन्द्रों के उपयोगकर्ताओं के रूप में माना जाएगा;

(छ) आईएसटीएस के माध्यम से विद्युत के आहरण या विद्युत की बिक्री के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञप्तिधारी;

(ज) कोई अन्य इकाई जो समय-समय पर आरएलडीसी और एनएलडीसी की सेवाओं का उपयोग करती है;

- (2) क्रेता, थोक उपभोक्ता, विक्रेता, नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता, ईएसएस, क्यूसीए और एसएनए को इन विनियमों के प्रयोजन हेतु संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के उपयोगकर्ताओं के रूप में माना जाएगा।
- (3) पावर एक्सचेंज और अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को एनएलडीसी के उपयोगकर्ताओं के रूप में माना जाएगा।

अध्याय-3

प्रभारों का अवधारण

9. 2019-2024 की अवधि के लिए वार्षिक एलडीसी प्रभारों का ड्रॉप अप

- (1) 2019-24 की अवधि के लिए वार्षिक एलडीसी प्रभारों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आरएलडीसी और एनएलडीसी के फीस और प्रभार) विनियम, 2019 के विनियम 13 के उपबंधों के अनुसार ड्रॉप अप किया जाएगा। ड्रॉप अप के आधार पर दिनांक 31.3.2024 को स्वीकृत पूंजी लागत, 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक एलडीसी प्रभारों के अवधारण के लिए 1.4.2024 को आरंभिक पूंजी लागत का आधार बनेगी।

10. 2024-29 की अवधि के लिए फीस और प्रभारों का अवधारण

- (1) एनएलडीसी, दिनांक 31.03.2024 तक किए गए पूंजीगत व्यय तथा संपरीक्षक द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापन के आधार पर केपेक्स योजना के आधार पर 2024-29 की नियंत्रण अवधि के दौरान किए जाने हेतु अनुमानित पूंजी व्यय के आधार पर 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए फीस और प्रभारों के अवधारण हेतु, एनएलडीसी [कॉर्पोरेट सेंटर (सीसी) सहित] और सभी आरएलडीसी की ओर से इन विनियमों की अधिसूचना के तारीख से 180 दिनों के अंदर इन विनियमों के **परिशिष्ट-1** में संलग्न प्रारूपों में याचिका दाखिल करेगा।
- (2) याचिका दाखिल करने से पूर्व एनएलडीसी, उपयोगकर्ताओं को उसकी प्रति प्रदान करेगा और याचिका के साथ प्रदान करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। संबंधित आरएलडीसी और एनएलडीसी, जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए याचिका के निपटान तक अपनी वेबसाइट पर संपूर्ण याचिका को प्रकाशित रखेगा। याचिका प्रकाशित करने के 60 दिनों के अंदर जनता से प्राप्त किन्हीं सुझावों या आपत्तियों को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) आयोग, प्रतिवादियों और जनता से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करेगा। आयोग, याचिकाकर्ता, उपयोगकर्ताओं और आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के बाद फीस और प्रभारों के अवधारण का आदेश जारी करेगा।

(4) याचिका के लंबित रहने के दौरान आरएलडीसी, इन विनियमों के अनुसार, आयोग द्वारा फीस और प्रभारों के अनुमोदन तक दिनांक 1.4.2024 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए, दिनांक 31.3.2024 को यथा लागू पिछली नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदित फीस और प्रभारों के आधार पर उपयोगकर्ताओं को बिल करते रहना जारी रखेगा।

(5) नियंत्रण अवधि की समाप्ति के बाद आरएलडीसी, आयोग द्वारा अनुमोदित और लागू विनियमों के अधीन फीस और प्रभारों के अवधारण तक दिनांक 1.4.2029 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए दिनांक 31.3.2019 को यथा लागू फीस और प्रभारों के आधार पर अनंतिम रूप से उपयोगकर्ताओं को बिल करते रहना जारी रखेगा।

(6) आयोग द्वारा प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (कॉर्पोरेट सेंटर) के लिए पृथक रूप से फीस और प्रभारों का अवधारण करेगा:

परंतु यह कि संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सेंटर व्यय सहित वार्षिक एनएलडीसी के वार्षिक एलडीसी प्रभारों को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च को संबंधित प्रदेश में अवस्थित आदेशिती डीआईसी के जीएनए के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों को बीच प्रभाजित किया जाएगा।

11. पूंजी व्यय का प्रज्ञावान जाँच

(1) पूंजी व्यय की प्रज्ञावान जाँच के लिए अपनाए गए सिद्धांत पूंजी लागत की उपयुक्तता, वित्तपोषण योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों की उन्नयनशीलता/आरोयहता और प्रचालन प्रणाली की बढ़ती अपेक्षा को समायोजित करने के लिए लागत आधिक्य, समय आधिक्य, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से उपकरण और सामग्री की खरीद की आवश्यकता होगी और इस तरह के अन्य मामलों को आयोग द्वारा फीस और प्रभारों के निर्धारण के लिए उपयुक्त माना जा सकता है:

परंतु यह कि प्रज्ञावान जाँच करते समय, आयोग यह भी जाँच करेगा कि क्या आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, परियोजना के निष्पादन के अपने न्यायों और निर्णयों में सावधानी बरत रहा है।

12. वार्षिक प्रभारों की डूइंग अप

(1) एनएलडीसी, नियंत्रण अवधि की समाप्ति के बाद डूइंग अप अभ्यास के लिए दिनांक 30.11.2029 तक इन विनियमों के परिशिष्ट-I में यथा संलग्न प्ररूपों में आरएलडीसी और एनएलडीसी (कॉर्पोरेट सेंटर सहित) की ओर से याचिका दाखिल करेगा।

(2) ड्रॉइंग अप के लिए याचिका के साथ, दिनांक 1.4.2024 से 31.3.2029 की अवधि के लिए संपरीक्षक द्वारा विधिवत् रूप से संपरीक्षित और सत्यापित अतिरिक्त पूंजी व्यय, वित्तपोषण के स्रोत, प्रचालन और रखरखाव व्यय और किए गए किसी अन्य व्यय सहित पूंजी व्यय के विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) आयोग, दिनांक 31.3.2029 तक किए गए और ड्रॉइंग अप के समय प्रज्ञावान जाँच के बाद आयोग द्वारा यथा स्वीकृत पूंजी व्यय, प्रचालन और रखरखाव व्यय और किसी अन्य व्यय के आधार पर, अगली नियंत्रण अवधि के लिए फीस और प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदन के साथ ड्रॉइंग अप अभ्यास करेगा:

परंतु यह कि आरएलडीसी और एनएलडीसी, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, वास्तविक पूंजी व्यय, प्रचालन और रखरखाव व्यय और किसी अन्य व्यय के आधार पर उनके व्यय का वार्षिक सामंजस्य (नियंत्रण अवधि के अंत में आयोग द्वारा ड्रॉइंग अप के अध्यक्षीन अनंतिम ड्रॉइंग अप के रूप में) करेगा और आगामी वर्ष के 30 नवम्बर को या उससे पूर्व उपयोगकर्ताओं को फीस और प्रभारों की अतिरिक्त वसूली वापस करेगा:

परंतु यह और कि आरएलडीसी और एनएलडीसी नियंत्रण अवधि के अंदर एक बार अपने व्ययों की मध्यावधि समीक्षा करेगा, यदि आपातिक स्थिति को देखते हुए इसे आवश्यक समझा जाए, जैसे कि वेतन पुनरीक्षण, अनुमोदित व्यय या किसी अनदेखी आवश्यकता के संबंध में महत्वपूर्ण विचलन, और एनएलडीसी इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से दो साल बाद आयोग के समक्ष आरएलडीसी और एनएलडीसी की ओर से मध्यावधि ड्रॉ-अप याचिका दाखिल कर सकता है।

(4) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रभारों सहित, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा कम वसूली गई या अधिक वसूली गई राशि को छह बराबर मासिक किस्तों में संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को बैंक दर के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ उपयोगकर्ताओं से वसूला जाएगा या उन्हें वापिस, यथास्थिति, किया जाएगा:

स्पष्टीकरण: ऐसा ब्याज आयोग द्वारा आदेश के जारी होने की तारीख तक देय होगा और छह-मासिक किस्तों के भुगतान की अवधि के दौरान किसी ब्याज की अनुमति नहीं होगी या लगाया नहीं जाएगा।

अध्याय-4

पूँजी लागत की संगणना और अतिरिक्त पूँजीकरण

13. पूँजी लागत की संगणना

(1) प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए, प्रज्ञावान जाँच के बाद आयोग द्वारा यथा स्वीकृत पूँजी लागत, आरएलडीसी के वार्षिक एलडीसी प्रभारों के अवधारण के लिए आधार बनेगी।

(2) पूँजी लागत की संगणना निम्नलिखित पर विचार के बाद की जाएगी:

- (i) देयता, यदि कोई हो, को छोड़कर दिनांक 31.03.2024 को विधिवत् रूप से डूड अप आयोग द्वारा यथा स्वीकृत पूँजी लागत;
- (ii) विनियम 14(1) के अनुसार अवधारित अतिरिक्त पूँजीकरण के कारण व्यय;
- (iii) विश्लेषण टूल और पाइलट परियोजनाओं, जो पूँजीगत प्रकृति की हैं, के विकास के लिए निधिकरण;
- (iv) विनियम 14 (2) के अनुसार अवपूँजीकृत नियत आस्तियाँ;
- (v) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित निर्माण के दौरान ब्याज और निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय;
- (vi) परियोजना के निष्पादन के लिए केन्द्र या राज्य सरकार या किसी सांविधिक निकाय या प्राधिकरण से प्राप्त कोई अनुदान जिसमें प्रतिसंदाय को कोई देयता नहीं है, उसे ऋण पर ब्याज, इक्विटी पर रिटर्न और मूल्यहास की संगणना के प्रयोजन हेतु पूँजी लागत में शामिल नहीं किया जाएगा;

(3) पूँजी लागत को प्रज्ञावान जाँच के बाद स्वीकृत किया जाएगा जिसमें पूँजी व्यय, वित्तपोषण योजना, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी), निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईडीसी), वित्तपोषण प्रभार, विदेशी विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी), लागत ओवर-रन और समय ओवर-रन और आयोग द्वारा समुचित समझे गए ऐसे किसी अन्य मामलों की युक्तियुक्तता की संवीक्षा शामिल हो सकते हैं:

(4) निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) की संगणना, परियोजना के समापन तक निधियों की प्रज्ञावान फेसिंग को ध्यान में रखते हुए वास्तविक ऋण और/या मानकीय ऋण पर विचार करते हुए की जाएगी:

परंतु यह कि परिनियोजित निधियों के 30% से अधिक आधिक्य इक्विटी के तदनुरूप मानकीय ऋण पर आईडीसी की अनुमति केवल तभी होगी यदि तिमाही आधार पर इक्विटी का वास्तविक अंतःक्षेपण, समरूप आधार पर परिनियोजित कुल निधियों के 30% से अधिक है।

परंतु यह और कि यदि मानकीय ऋण पर आईडीसी की अनुमति वास्तविक ऋण के अंतःक्षेपण से पूर्व दी जानी है, तो ऐसी आईडीसी के संगणना के लिए ब्याज की दर संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को यथा लागू 1-वर्ष एसबीआई एमसीएलआर के बराबर होगी।

परंतु यह भी कि वास्तविक ऋण के अंतःक्षेपण के बाद मानकीय ऋण पर आईडीसी की संगणना उस संबंधित तिमाही के लिए भारित औसत ब्याज दर (डब्ल्यूएआरओआई) के आधार पर होगी।

(5) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईडीसी) की संगणना, परियोजना के समापन तक पूर्व-प्रचालन व्यय पर विचार करते हुए शून्य तारीख से की जाएगी। जमा या अग्रिमों पर ब्याज या किसी अन्य प्राप्तियों के कारण समापन तक निर्माण अवधि के दौरान अर्जित किसी राजस्व को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में कमी के लिए हिसाब में जाएगा।

(6) यदि परियोजना को पूरा करने में विलंब आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, पर आरोप्य नहीं है, तो विलंबित अवधि के लिए आईडीसी और आईडीसी को प्रज्ञावान जाँच के बाद अनुमति दी जा सकती है और ठेकेदार या प्रदाता या एजेंसी से वसूली गई परिनिर्धारित नुकसानी, यदि कोई हो, का समायोजन आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, की पूंजी लागत में किया जाएगा।

(7) आरएलडीसी और एनएलडीसी, दिनांक 31.03.2024 को व्ययित पूंजी व्यय के लिए संपरीक्षक प्रमाणपत्र और, 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित पूंजी व्यय के लिए, कम से कम कंपनी के निदेशक के स्तर के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित प्रबंधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे:

14. अतिरिक्त पूंजीकरण और अव-पूंजीकरण

(1) पहले से सेवा में आस्तियों के लिए व्ययित या व्यय किए जाने वाला पूंजी व्यय और टैरिफ अवधि के दौरान खरीदी जाने वाली अनुमानित अतिरिक्त आस्तियों को आयोग द्वारा प्रज्ञावान जाँच के अध्यक्षीन स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) आस्तियों के अव-पूँजीकरण के मामले में, अवपूँजीकरण की तारीख को ऐसी आस्ति की मूल लागत को सकल नियत आस्ति के मूल्य से घटाया जाएगा और इक्विटी के साथ-साथ तदनुरूपी ऋण को उस वर्ष के क्रमशः बकाया ऋण और इक्विटी में से घटाया जाएगा जिसमें संचयी मूल्यहास और ऋण के संचयी प्रतिसंदाय में तदनुरूपी समायोजनों के साथ ऐसा अव-पूँजीकरण हुआ, उस वर्ष को विधिवत् रूप से ध्यान में रखते हुए जिसमें उसे पूँजीकृत किया गया।

परंतु यह कि उन मामलों में जहाँ योजना की भागरूप आस्ति का अव-पूँजीकरण होता है और जहाँ ऐसी आस्ति का ऐतिहासिक मूल्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ अव-पूँजीकरण के मूल्य की संगणना प्रति वर्ष 5% से नई आस्ति के मूल्य के डी-एस्केलेटिंग द्वारा आस्ति की प्रतिस्थापन लागत के न्यूनतम 10% के अधीन पुरानी आस्ति के पूँजीकरण के वर्ष तक की जाएगी।

15. ऋण-इक्विटी अनुपात

(1) दिनांक 31.3.2024 को समाप्त अवधि के लिए आयोग द्वारा यथा स्वीकृत वास्तविक ऋण-इक्विटी अनुपात को 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र की आरंभिक पूँजी लागत के लिए माना जाएगा।

(2) दिनांक 1.4.2024 से पूर्व व्ययित पूँजी व्यय, जहाँ दिनांक 31.3.2024 को समाप्त अवधि के लिए आरएलडीसी के वार्षिक प्रभारों के अवधारण के लिए आयोग द्वारा ऋण-इक्विटी अनुपात अवधारित नहीं किया गया है, वहाँ आयोग ऋण-इक्विटी अनुपात को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 के विनियम 16(3) के अनुसार अवधारित करेगा।

(3) दिनांक 1.4.2024 को या बाद में व्ययित या व्यय किए जाने वाले पूँजी व्यय के लिए, ऋण-इक्विटी अनुपात को 70:30 के रूप में माना जाएगा। यदि वास्तविक रूप से परिनियोजित इक्विटी, पूँजी लागत के 30% से अधिक है, तो 30% से अधिक की इक्विटी को मानकीय ऋण के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह कि :

i जहाँ वास्तविक रूप से परिनियोजित इक्विटी पूँजी लागत के 30% के कम है, वहाँ इक्विटी पर रिटर्न के अवधारण के लिए वास्तविक इक्विटी को माना जाएगा;

ii विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी को प्रत्येक निवेश की तारीख को भारतीय रुपयों में नामित किया जाएगा;

iii परियोजना के निष्पादन के लिए प्राप्त किसी अनुदान को ऋण-इक्विटी अनुपात के प्रयोजन हेतु पूंजी अवसंरचना के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: शेयर पूंजी जारी करते समय और परियोजना के निधिकरण के लिए फ्री रिज़र्व में से निर्मित आंतरिक संसाधनों को निवेश करते समय, ग्रिड-इंडिया द्वारा प्रोद्भूत प्रीमियम, यदि कोई हो, को इक्विटी पर रिटर्न की संगणना के प्रयोजन हेतु समादत्त पूंजी के रूप में माना जाएगा यदि ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक संसाधनों को एनएलडीसी और आरएलडीसी के पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए वास्तविक रूप से उपयोग किया गया है।

अध्याय - 5

फीस और प्रभार संरचना

16. आरएलडीसी फीस और प्रभार के संघटक:

(1) आरएलडीसी फीस और प्रभारों में, ग्रिड पहुंच के आरंभ के लिए पंजीकरण हेतु आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, द्वारा वसूल की जाने वाली भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) फीस; और विद्युत की शेड्यूलिंग के लिए उपयोगकर्ताओं से वार्षिक एलडीसी प्रभार (एएलसी) शामिल होंगे।

17. वार्षिक एलडीसी प्रभार (एएलसी):

(1) एएलसी में वार्षिक आरएलडीसी प्रभार और प्रभाजित वार्षिक एनएलडीसी प्रभार (कॉर्पोरेट सेंटर व्यय सहित) शामिल होंगे। एएलसी को मासिक आधार पर वसूल किया जाएगा।

(2) वार्षिक आरएलडीसी प्रभार, आरएलडीसी द्वारा व्यय किए जाने हेतु प्रस्तावित और आयोग द्वारा अनुमोदित व्यय के तदनुरूप होंगे। वार्षिक आरएलडीसी प्रभारों में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे, अर्थात्:-

(क) इक्विटी पर रिटर्न;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज;

(ग) मूल्यहास;

(घ) प्रचालन और रखरखाव व्यय

(ङ) मानव संसाधन व्यय

(च) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(3) एनएलडीसी प्रभार (कॉर्पोरेट सेंटर व्यय सहित)

(क) जहाँ तक लागू हो, एनएलडीसी प्रभारों की संगणना, कार्यशील पूंजी पर ब्याज को छोड़कर, इन विनियमों के विनियम 17(2) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यप्रणाली का पालन करके की जाएगी।

(ख) फोल्ड सचिवालय, कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - ग्रिड प्रचालन (सीईआरटी - जीओ) कार्यों सहित चालू कॉर्पोरेट सेंटर के प्रति व्यय की अनुमति आयोग द्वारा प्रज्ञावान जाँच के बाद दी जाएगी।

(ग) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित एनएनडीसी और कॉर्पोरेट सेंटर के सभी व्ययों को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च को संबंधित प्रदेशों में अवस्थित आदेशिती डीआईसी के जीएनए के आधार पर 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों को प्रभाजित की जाएगी।

अध्याय 6

वार्षिक एलडीसी प्रभारों की संगणना

18. इक्विटी पर रिटर्न

- (1) इक्विटी पर रिटर्न इन विनियमों के विनियम 15 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर रुपये में संगणित किए जाएंगे।
- (2) इक्विटी पर रिटर्न इस विनियम के खण्ड (3) के अनुसार सकल किए जाने वाले 15.50 प्रतिशत की पूर्व कर आधार दर पर संगणित होगी।
- (3) इक्विटी पर रिटर्न की दर निम्नलिखित फार्मूल का प्रयोग करते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रभावी कर दर के साथ आधार दर को सकल करते हुए संगणित की जाएगी और तीन डेसिमल प्वाइंट में पूर्णांकित की जाएगी:

$$\text{इक्विटी पर पूर्व कर रिटर्न की दर} = \text{बेस दर}/(1-टी)$$

जहाँ 'टी', प्रभावी कर दर है।

- (4) नियंत्रण अवधि के दौरान संबंधित वर्षों के वित्त अधिनियमों के संगत उपबंधों के अनुसार ग्रिड इण्डिया के लिए लागू प्रभावी कर दर के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न नियंत्रण अवधि के अंत तक दूअप किया जाएगा।

19. ऋण पूंजी पर ब्याज

- (1) विनियम 15 के अनुसार अवधारित ऋण को ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए सकल मानकीय ऋण के रूप में माना जाएगा।
- (2) दिनांक 1.4.2024 को बकाया मानकीय ऋण सकल मानकीय ऋण से 1.3.2024 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी पुनर्भुगतान की कटौती करते हुए काटा जाएगा।
- (3) नियंत्रण अवधि 2024-29 के प्रत्येक वर्ष के लिए पुनर्भुगतान को उस वर्ष के लिए अनुमत मूल्यहास के समतुल्य डीमड किया जाएगा। आस्तियों के अवपूंजीकरण के मामले में, पुनर्भुगतान को समानुपातिक आधार पर संचयी पुनर्भुगतान को हिसाब में लेते हुए समायोजित किया जाएगा, और समायोजन इस प्रकार की आस्ति के अवपूंजीकरण की तारीख तक वसूल किए गए संचयी मूल्यहास से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (4) ब्याज की दर संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण दर के लिए लागू आवंटित ऋण पोर्टफोलियों या वास्तविक ऋण पोर्टफोलियों के आधार पर संगणित ब्याज की भारित औसत दर होगी:

परंतु कि यदि किसी विशेष वर्ष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं है लेकिन मानकीय ऋण अभी भी बकाया है तो ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा;

परंतु यह और कि यदि किसी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में वास्तविक ऋण नहीं है, तो पूर्ण रूप से ग्रिड इण्डिया के ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा।

परंतु यह भी कि यदि ग्रिड इण्डिया के पास कोई वास्तविक ऋण नहीं है तो ऋण के लिए ब्याज की दर को संगत वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की एकवर्षीय एमसीएलआर के रूप में विचार किया जाएगा।

- (5) ऋण पर ब्याज को इस विनियम के खंड (4) के अनुसार ब्याज की भारित औसत दर को लागू करते हुए वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर संगणित किया जाएगा।
- (6) ग्रिड इण्डिया ब्याज पर निवल बचत में ऋण के पुनर्वित्त ऋण के लिए प्रत्येक प्रयास करेगा। यदि ऋण का पुनर्वित्त या पुनर्संरचना इस प्रकार के पुनर्वित्त या

पुनर्संरचना से संबद्ध लागत के लिए लेखांकन के बाद ब्याज पर निवल बचत में परिणत होता है तो उसे 50:50 के अनुपात में प्रयोक्ताओं और ग्रिड इण्डिया के बीच शेयर किया जाएगा। ऋणों की निबंधनों एवं शर्तों में परिवर्तनों को इस प्रकार के पुनर्वित्त की तारीख से प्रदर्शित किया जाएगा।

परंतु कि प्रयोक्ता ऋण के पुनर्वित्त से उदभूत किसी विवाद के विलंबन के दौरान ग्रिड इण्डिया द्वारा दावा किए गए ब्याज के कारण किसी भुगतान को नहीं रोकेगा।

20. मूल्यहास

- (1) मूल्यहास के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत आस्तियों की पूंजी लागत होगा।
- (2) आस्ति का साल्वेज मूल्य (आईटी उपकरण और साफ्टवेयर को छोड़कर) पर 10 प्रतिशत पर विचार किया जाएगा और मूल्यहास की आस्ति की पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमति होगी। आईटी उपकरण और साफ्टवेयर के लिए साल्वेज मूल्य को शून्य माना जाएगा और आस्तियों के मूल्य के 100 प्रतिशत को मूल्यहास के रूप में विचार किया जाएगा।
- (3) फ्रीहोल्ड भूमि मूल्यहास योग्य आस्ति नहीं है और इसकी लागत आस्ति की पूंजी लागत के मूल्यहास योग्य मूल्य की संगणना करते हुए पूंजी लागत से बाहर की जाएगी।
- (4) लीजहोल्ड भूमि को लीज अवधि में लीज अवधि से परिशोधित किया जाएगा।
- (5) मूल्यहास को स्ट्रेट लाइन पद्धति पर आधारित वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा।
- (6) पूर्णतया मूल्यहास की गई आस्तियां अलग से दर्शायी जाएगी।
- (7) अप्रयुक्त या घोषित अप्रचलित आस्तियों का मूल्य मूल्यहास की संगणना के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत से हटाया जाएगा।
- (8) 1.4.2024 को शेष मूल्यहास मूल्य योग्य संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए ग्रिड इण्डिया के लेखा बहियों में दर्शायी

गई आस्तियों के सकल मूल्यहास योग्य मूल्य से संचयी मूल्यहास की कटौती करते हुए निकाला जाएगा।

- (9) संबंधित आरएलडीसी के संबंध में आस्तियों के अवपूँजीकरण के मामले में, संचयी मूल्यहास को इसके उपयोगी जीवन के दौरान अवपूँजीकृत आस्ति द्वारा टैरिफ में वसूल किए गए मूल्यहास पर विचार करने के बाद समायोजित किया जाएगा।

21. प्रचालन और रखरखाव खर्च

- (1) वर्ष 2023-24 के लिए अनुमत प्रचालन एवं रखरखाव में नियंत्रण अवधि 2024-29 के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुज्ञेय प्रचालन एवं रखरखाव खर्चों में प्रत्येक वर्ष 5.25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- (2) निम्नलिखित ओएंडएम खर्चों के भाग होंगे:
- (i) आरएलडीसी और एनएलडीसी की आस्तियों के रखरखाव और प्रचालन के लिए किया गया व्यय;
 - (ii) नई तकनीक और बाजार उत्पादों के कार्यान्वयन और लर्निंग के लिए परामर्श सेवाओं सहित आउटसोर्स सेवाएं;
 - (iii) राजस्व किस्म की नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के लिए किया गया खर्चा;
 - (iv) उपभोग्य, बीमा और ओवरहेड, रखरखाव, हाउसकीपिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, म्युनिसिपल करों के लिए व्यय;
 - (v) ग्रिड स्थिरीकरण के लिए तकनीक के विकास के लिए अनुसंधान गतिविधियों के लिए व्यय;
- (3) नियंत्रण अवधि के लिए ओएंडएम खर्चों के अनुमोदन के बाद एनएलडीसी, एनएलडीसी या आरएलडीसी के अतिरिक्त ओ एंड एम व्ययों, जो वर्ष के लिए अनुज्ञात ओ एंड एम व्यय के 20% से अधिक हैं, के अनुमोदन के लिए नियंत्रण अवधि के दौरान पृथक याचिका दायर कर सकता है जिस पर प्रज्ञावान जांच के बाद विचार किया जाएगा।

22. मानव संसाधन व्यय

- (1) वर्ष 2023-24 के लिए अनुमत मानव संसाधन व्यय में नियंत्रण अवधि 2024-29 के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन व्यय पर प्रत्येक वर्ष 5.25 प्रतिशत तक वृद्धि होगी।
- (2) अतिरिक्त मानव शक्ति, वेतन पुनरीक्षण के कारण नियंत्रण अवधि 2024-29 के दौरान किसी महत्वपूर्ण मानव संसाधन व्यय की स्वविवेकी जांच के दौरान अलग से अनुमति दी जाएगी।
- (3) मानव संसाधन व्ययों में मानव शक्ति पर व्यय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता और उनमें तकनीकी पेपरों के प्रकाशन के लिए निधि पोषण, उच्च शिक्षा को सुगम बनाना, राष्ट्रीय निकायों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में संस्थानिक सदस्यता प्राप्त करना शामिल होगा।
- (4) डीपीई और अन्य लागू मार्गनिर्देशों के अनुसार संगणित वेतन संबद्ध कार्यनिष्पादन की इन विनियमों के विनियम 28 के अनुसार अनुमत प्रोत्साहन से पूर्ति की जाएगी।
- (5) एनएलडीसी या आरएलडीसी द्वारा किए गए मानव संसाधन विकास व्यय, मानव संसाधन व्यय का भाग होंगे। एनएलडीसी या आरएलडीसी के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के अलावा, अन्य पणधारकों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम मानव संसाधन विकास व्यय का भाग होंगे।
- (6) एलडीसी के प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए अपेक्षित मानव शक्ति की संख्या परिशिष्ट V सहित ग्रिड इण्डिया की मानव शक्ति अपेक्षा के लिए एनएलडीसी द्वारा दाखिल किए जाने वाले अलग आवेदन पर आधारित आयोग द्वारा यथाअनुमोदित होगी। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित मानव शक्ति योजना के लिए बोर्ड का अनुमोदन होगा।

23. कार्य पूंजी पर ब्याज

- (1) प्रत्येक आरएलडीसी के लिए कार्य पूंजी में निम्नलिखित को कवर किया जाएगा:

- (i) संबंधित आरएलडीसी के लिए एक माह के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्च और एनएलडीसी के लिए एक माह के लिए संविभाजित प्रचालन और रखरखाव खर्च;
 - (ii) संबंधित आरएलडीसी के लिए एक माह के लिए मानव संसाधन खर्च और एनएलडीसी के लिए एक माह के लिए संविभाजित मानव संसाधन खर्च;
 - (iii) आयोग द्वारा यथाअनुमोदित वार्षिक प्रभारों के 45 दिनों के समतुल्य प्राप्य।
- (2) कार्य पूंजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी और टैरिफ विनियमों 2024 के अनुसार 1.4.2024 को **ब्याज की संदर्भ दर** होगी।

परंतु कि कार्य पूंजी पर ब्याज पर ब्याज की दर नियंत्रण अवधि 2024-29 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को ब्याज की संदर्भ दर पर विचार करते हुए नियंत्रण अवधि के अंत में डूअप किया जाएगा।

- (3) कार्य पूंजी पर ब्याज मानकीय आधार पर संदेयी होगा इसके बावजूद कि ग्रिड इण्डिया ने किसी बाहरी एजेंसी से कार्य पूंजी के लिए कोई ऋण नहीं लिया है।

अध्याय-7

एलडीसी विकास निधि

24. एलडीसी विकास निधि

- (1) ग्रिड इण्डिया इस विनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए 'भार प्रेषण केन्द्र' विकास निधि (एलडीसी निधि) शीर्षक से अलग निधि का रखरखाव करेंगे।
- (2) इक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज, मूल्यहास, रजिस्ट्रेशन फीस, टीजीएनए के अधीन अनुसूचीकरण के लिए प्रभार, आरईसी प्रभार, पीएटी प्रभार और एलडीसीडी निधि पर अर्जित के कारण प्रभारों को सांवेधिक कर और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद एलडीसी निधि में जमा किया जाएगा।
- (3) आरएलडीसी और एनएलडीसी नई आस्तियों के सृजन के लिए, ऋण पुनर्भुगतान, ब्याज की सर्विसिंग और प्रदत्त पूंजी के 15.50 प्रतिशत तक सीमित लाभांश भुगतान, नई आस्तियों के लिए इक्विटी भाग की पूर्ति, आयोग के अनुमोदन के अध्यक्षीन अधिग्रहण वैचर के लिए क्रय प्रतिफल के लिए भुगतान और वित्तीय

- संस्थाओं से ऋण जुटाने के लिए मार्जिन मनी के लिए एलडीसीडी निधि में जमा धन के प्रयोग के पात्र होंगे।
- (4) ओएण्डएम खर्चों सहित राजस्व व्यय की पूर्ति में कोई कमी एलडीसीडी निधि से पूर्ति की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, भार प्रेषण केन्द्र एलडीसीडी निधि से ब्याज मुक्त अग्रिम का पात्र होगा जिसे नियंत्रण अवधि 2024-29 की समाप्ति के बाद किए जाने वाले ड्रइंगअप के समय पर संबंधित शीर्षों के अधीन आयोग द्वारा अनुमत व्यय से पूरा किया जाएगा।
- (5) एलडीसीडी निधि से ली गई रकम से निधि पोषित की गई आस्ति, आंशिक या पूर्ण रूप से, पर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यहास की संगणना के लिए विचार किया जाएगा।
- (6) आस्ति के निधि पोषण के लिए एलडीसीडी निधि के ली गई रकम को काल्पनिक ऋण माना जाएगा और संगत वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को, यथालागू भारतीय स्टेट बैंक के एकवर्षीय एमसीएलआर के रूप ब्याज की मानकीय दर होगी जिसे एलडीसीडी निधि को वापस जमा करवाया जाएगा।
- (7) आरएलडीसी और एनएलडीसी आयोग द्वारा अनुमत वार्षिक प्रभारों में कमी की पूर्ति के लिए एलडीसीडी निधि से निधियों का उपयोग कर सकता है या आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए आवेदन करते समय विचार नहीं किया गया था और कुशल विद्युत प्रणाली प्रचालन के लिए आवश्यक माना गया था।
- (8) इन विनियमों के विनियम 29(2) के अधीन व्ययों को एलडीसीडी निधि से अदा किया जाएगा।
- (9) ग्रिड इण्डिया उन स्रोतों से ब्यौरो सहित जहां से निधियां प्राप्त हुई हैं, एलडीसीडी निधि में संचित रकम प्रस्तुत करेगा। ग्रिड इण्डिया पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान एलडीसीडी निधि के प्रयोग पर लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र सहित एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के अंत में आयोग को प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ एलडीसीडी निधि के अप्रयुक्त भाग तथा प्रयुक्त निधि की मात्रा के ब्योरे शामिल होंगे। आयोग, यदि आवश्यक समझता है, एलडीसीडी निधि के प्रभावी उपयोग के लिए आरएलडीसी और एनएलडीसी को निर्देश जारी कर सकता है।

अध्याय-8**फीस एवं प्रभारों की संगणना और वसूली**

25. **रजिस्ट्रेशन फीस:** फीस ग्रिड और अनुसूचीकरण के आरंभ से पूर्व पावर एक्सचेंजो और विद्युत व्यापारियों सहित प्रयोक्ताओं द्वारा संदेय होगी। संदेय फीस निम्नानुसार है:

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, ग्रिड पहुंच की आरंभ के लिए आवेदन सहित 10 लाख रुपये की गैर वापसी योग्य एकबारगी रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करेंगे:
- (2) प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशन, केप्टिव उत्पादन संयंत्र और स्टैण्डअलोन स्टोरेज प्रणाली निम्नानुसार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करेगी:

- क) 10 मेगावाट तक संस्थापित क्षमता के लिए : 0.75 लाख रुपये;
- ख) 10 मेगावाट से अधिक और 100 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता के लिए : 1.5 लाख रुपये;
- ग) 100 मेगावाट से अधिक और 500 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता के लिए : 7.5 लाख रुपये;
- घ) 500 मेगावाट से अधिक और 1000 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता के लिए : 10 लाख रुपये;
- ङ) 1000 मेगावाट से अधिक की क्षमता के लिए : 15.0 लाख रुपये;

परंतु कि उत्पादन स्टेशन या उसके स्टेज की समूची क्षमता जिसका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और उर्जा लेखांकन अलग से किया गया है उसे आरंभिक रजिस्ट्रेशन के समय पर रजिस्ट्रेशन फीस के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा:

परंतु यह कि उत्पादन कंपनियां उत्पादन स्टेशन या उसके स्टेज द्वारा आरंभ की गई अतिरिक्त क्षमता के बारे में संबंधित आरएलडीसी को सूचित करेगी।

परंतु यह कि प्रादेशिक इकाई नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन कुल एसी संस्थापित क्षमता के लिए रजिस्टर्ड होगी।

- (3) थोक उपभोक्ता निम्नानुसार रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेंगे :

- क) 100 मेगावाट के समतुल्य या कम जीएनए के लिए : 5 लाख रुपये;

- ख) 100 मेगावाट से अधिक और 500 मेगावाट से कम या समतुल्य जीएनए के लिए : 10 लाख रुपये;
- ग) 500 मेगावाट से अधिक जीएनए के लिए : 15 लाख रुपये;
- (4) अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता, एसएनए, विक्रेता और क्रेता बाजार प्रचालन के लिए अनुसूचीकरण के आरंभ के लिए आवेदन सहित 15000 रुपये (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की एकबारगी रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेंगे।
- (5) पावर एक्सचेंज, एनएलडीसी को एकबारगी रजिस्ट्रेशन के रूप में 30.0 लाख रुपये (तीस लाख रुपये मात्र) अदा करेगी।
- (6) इन विनियमों के विनियम 8 में यथापरिभाषित सभी अन्य प्रयोक्ता ग्रिड पहुंच के आरंभ के लिए आवेदन (परिशिष्ट III) सहित 15000 रुपये (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की एकबारगी रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने के लिए दायी होंगे।

26. मासिक एलडीसी प्रभार

- (1) प्रत्येक आरएलडीसी के लिए मासिक एलडीसी प्रभार (इन विनियों के विनियम 17 प्लस कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अधीन अनुमोदित वार्षिक एलडीसी प्रभार) का 1/12 होंगे। मासिक एलडीसी प्रभार, उप-खंडों (क), (ख), (ग) में यथा परिभाषित तीन श्रेणियों से प्रत्येक 1/3वें समानुपात में निम्नानुसार वसूल किए जाएंगे:
- (क) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए एलडीसी प्रभार अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्वामित्व के सबस्टेशन की एमवीए क्षमता और लाइनों के सर्किट किलोमीटर के आधार पर होंगे;
- (ख) प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशन, प्रादेशिक इकाई केप्टिव उत्पादन संयंत्र और प्रादेशिक इकाई स्टैंड अलोन स्टोरेज प्रणाली के लिए एलडीसी प्रभार विक्रेताओं के लिए और एसएनए को (भारतीय ग्रिड में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए) जीएनए के आधार पर किया जाएगा;
- (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, प्रादेशिक इकाई, बल्क उपभोक्ताओं, एसएनए (भारतीय ग्रिड से आहरण के प्रयोजन के लिए), और क्रेताओं के लिए एलडीसी प्रभार इस प्रकार की इकाइयों के लिए जीएनए के आधार पर होंगे।

- (2) पीएलआई के अनंतिम वसूली के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक आरएलडीसी के लिए मासिक एलडीसी प्रभारों की संगणना के प्रयोजन के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन को संबंधित आरएलडीसी के लिए अंतिम अनुमोदित कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के 90 प्रतिशत के रूप में विचार किया जाएगा और एनएलडीसी के लिए (निगमित केन्द्र सहित) अंतिम अनुमोदित कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के संविभाजित 90 प्रतिशत को शामिल किया जाएगा और पीपीएलआई के रूप में संदर्भित किया जाएगा। पीएलआई की इस प्रकार की अनंतिम वसूली इन विनियमों के विनियम 28 के अनुसार वार्षिक मिलान के अध्याधीन होगी।

27. एलडीसी प्रभारों की संगणना और भुगतान:

- (1) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए एलडीसी प्रभारों की दर वार्षिक आधार पर संगणित की जाएगी और निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार मासिक आधार पर वसूल की जाएगी;

(i) मासिक एलडीसी प्रभार दर (अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए)
=

(क) पारेषण लाइन के लिए =

$$(1/6) [\text{एएलसी} + \text{पीपीएलआई} / (\text{सीकेटी_किलोमीटर})] / 12 \text{ रुपये/किलोमीटर में}$$

जहां,

एएलसी = अध्याय 5 और 6 के अनुसार अनुमोदित वार्षिक एलडीसी प्रभार;

सीकेटी_किलोमीटर = बिलिंग के माह से पूर्व माह के अंतिम दिन को कुल अंतरराज्यिक पारेषण लाइनों की लंबाई (नजदीकी दो डेसीमल में पूर्णांकित किया जाए);

(क) सबस्टेशन के लिए =

$$(1/6) [\text{एएलसी} + \text{पीपीएलआई} / (\text{रूपांतरण क्षमता})] / 12 \text{ रुपये/एमवीए में}$$

जहां,

एएलसी = अध्याय 5 और 6 के अनुसार अनुमोदित वार्षिक एलडीसी प्रभार;

एमवीए = बिलिंग के माह के पूर्व माह के अंतिम दिन को कुल आईएसटीएस रूपांतरण क्षमता की मात्रा (नजदीकी दो डेसीमल में पूर्णांकित किए जाए);

- (2) व्यक्तिगत पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए मासिक एलडीसी प्रभार (i) पारेषण लाइनों की लंबाई (सीकेटी किलोमीटर में) द्वारा गुणा की गई पारेषण लाइनों के लिए एलडीसी प्रभार की अवधारित दर; और (ii) संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) द्वारा स्वामित्व और प्रचालित, सबस्टेशनों के रूपांतरित क्षमता (एमवीए में) द्वारा गुणा की गई सबस्टेशन के लिए एलडीसी प्रभारों के लिए अवधारित दर का योग होगी।
- (3) अंतरराज्यिक पारेषण लाइनों के लिए, कुल सर्किट किलोमीटर मासिक बिलिंग के लिए 50:50 के आधार पर विभक्त होंगे।
- (4) उत्पादन स्टेशनों, केप्टिव उत्पादन संयंत्रों, स्टैण्डअलोन स्टोरेज प्रणालियों, विक्रेताओं और एसएनए के लिए एलडीसी प्रभारों की दर वार्षिक आधार पर संगणित की जाएगी और निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार मासिक आधार पर वसूल की जाएगी:

मासिक एलडीसी प्रभार दर (आईएसटीएस में अंतःक्षेपण करने वाली इकाइयों के लिए)

$$= (1/3) (\text{एएलसी} + \text{पीपीएलआई}) / (\text{क्षमता}) / 12 \text{ रुपये/मेगावाट में}$$

जहां,

एएलसी = अध्याय 5 और 6 के अनुसार अनुमोदित वार्षिक एलडीसी प्रभार;

क्षमता = उत्पादन स्टेशनों, केप्टिव उत्पादन संयंत्रों, स्टैण्डअलोन स्टोरेज प्रणालियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में) विक्रेताओं की जीएनए मात्रा (मेगावाट में) (नजदीकी दो डेसीमल में पूर्णांकित की जाए), एसएनए (भारतीय ग्रिड में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए) जिसका अनुसूचीकरण बिलिंग के माह के पूर्व माह के अंतिम दिन को संबंधित आरएलडीसी के अधीन कवर किया गया है।

- (5) उत्पादन स्टेशनों, केप्टिव उत्पादन संयंत्रों, स्टैण्डअलोन स्टोरेज प्रणाली या विक्रेता या एसएनए द्वारा संदेय मासिक एलडीसी प्रभारों को क्रमशः उत्पादन स्टेशन या विक्रेता या एसएनए की जीएनए मात्रा (मेगावाट) या संबंधित संस्थापित क्षमता (मेगावाट) द्वारा गुणित उक्त अवधारित दरों के आधार पर संगणित किया जाएगा।
- (6) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, थोक उपभोक्ता, एसएनए और क्रेताओं के लिए एलडीसी प्रभारों की दरों को वार्षिक आधार पर संगणित किया जाएगा और निम्नलिखित फार्मूले के साथ जीएनए मात्रा को हिसाब में लेने के बाद मासिक रूप से वसूल किया जाएगा:

मासिक एलडीसी प्रभार दर (आईएसटीएस से आहरण के लिए)

= (1/3) (एएलसी+पीपीएलआई/(क्षमता)/12 रुपये/मेगावाट में

जहां,

एएलसी = अध्याय 5 और 6 के अनुसार अनुमोदित वार्षिक एलडीसी प्रभार;

क्षमता = वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, बल्क उपभोक्ताओं, एसएनए (भारतीय ग्रिड से आहरण के प्रयोजन के लिए) और क्रेताओं (नजदीकी दो डेसीमलों तक पूर्णांकित करते हुए) को प्रदान किए गए जीएनए जिनका अनुसूचीकरण और लेखांकन बिलिंग के माह के पूर्व माह के अंतिम दिन को संबंधित आरएलडीसी के अधीन कवर किया गया है;

- (7) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, बल्क उपभोक्ताओं, एसएनए और क्रेताओं द्वारा संदेय मासिक एलडीसी प्रभारों को माह के बिलिंग के पूर्व माह के अंतिम दिन को उनके जीएनए के योग के अनुपात में संग्रहित किया जाएगा।
- (8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2023 के अनुसार इसकी जीएनए मात्रा के अंदर ऊर्जा के अंतःक्षेपण या ऊर्जा के आहरण के लिए पात्र होंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के उपखण्ड (6) और (7) के अधीन जीएनए के तदनुरूपी मासिक एलडीसी प्रभारों को अदा करेंगे और इसकी जीएनए मात्रा के अंदर ऊर्जा के अंतःक्षेपण के लिए कोई अलग मासिक एलडीसी प्रभारों को अदा नहीं करेगा।
- (9) प्रत्येक आरएलडीसी अगले माह के लिए बिलों के लिए पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को प्रत्येक माह आईएनआर प्रति एमवीए दर या आईएनआर प्रति सीकेटीएम या आईएनआर प्रति मेगावाट प्रकाशित करेगा।
- (10) राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित अंतःराज्यिक इकाइयों को संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र को संदेय मासिक एलडीसी प्रभारों की वसूली के लिए नोडल एजेंसी के रूप में संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से संबंधित आरएलडीसी को एएलसी प्रभारों के भुगतान का विकल्प होगा। मासिक एलडीसी प्रभारों के संग्रहण के बाद संबंधित एसएलडीसी उसे संबंधित आरएलडीसी के खाते में जमा करेगी। राज्य में आरएलडीसी प्रयोक्ता संबंधित आरएलडीसी के खाते में एएलसी का प्रत्यक्ष भुगतान कर सकते हैं।
- (11) राज्य में वैयक्तिक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या क्रेताओं या विक्रेताओं से संग्रहण और प्रत्यक्ष बिलिंग के लिए, प्रत्येक अंतःराज्यिक इकाई के लिए पृथक पूर्व माह के लिए

एसटीयू/राज्य को प्रदान की गई जीएनए मात्रा को पूर्व माह के अंतिम दिन को मात्रा के लिए प्रत्येक माह के 10 तारीख को संबंधित आरएलडीसी के पास सीटीयूआईएल द्वारा शेयर की जाएगी। उसी मात्रा पर संबंधित आरएलडीसी के लिए बिलिंग माह एलडीसी प्रभारों के लिए विचार किया जाएगा।

- (12) शून्य जीएनए मात्रा सहित प्रादेशिक इकाई के मामले में, 50 मेगावाट के तदनुसूची एलडीसी प्रभारों को बिल किया जाएगा।

अध्याय-9

कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

28. आरएलडीसी और एसएनडीसी को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

- (1) आरएलडीसी और एसएनडीसी द्वारा प्रोत्साहन की वसूली **परिशिष्ट-IV** में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक या इस प्रकार के अन्य पैरामीटर जिसे आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, के लिए कार्यनिष्पादन पर आधारित होगी।
- (2) **परिशिष्ट-IV** में विनिर्दिष्ट मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतको के लिए विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स की संगणना के लिए पद्धति और टीम रेटिंग के परवर्ती अवधारण (श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, अच्छा, मध्यम, निकृष्ट की रेटिंग) को ग्रिड इण्डिया द्वारा तैयार की जाने वाली क्रियाविधि में विस्तार से दिया जाएगा और इन विनियमों के जारी होने के तीन महीने के अंदर अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) एनएलडीसी, एनएलडीसी (निगमित केन्द्र सहित की ओर से सिंगल आवेदन दाखिल करेगी और 31 मार्च को समाप्त पूर्व वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर आयोग को प्रमुख कार्यनिष्पादन के प्रत्येक संकेत के लिए वास्तविक कार्यनिष्पादन के ब्योरे सहित कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के दावे के लिए इन विनियमों के लिए **परिशिष्ट-IV** के रूप में संबद्ध फार्मेट में सभी आरएलडीसी दाखिल करेगी)
- (4) आयोग वार्षिक कार्य निष्पादन संकेतक और **परिशिष्ट-IV** में यथाविनिर्दिष्ट भार के आधार पर आरएलडीसी या एनएलडीसी, यथास्थिति, के समूचे कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगा।
- (5) प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतको और परिशिष्ट IV में विनिर्दिष्ट भार 2024-25 अवधि के लिए लागू होगा। वर्ष 2025-26 से आगे के लिए, एसएलडीसी, अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित केपीआई के लिए दिसंबर 2024 से आरंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष में दिसंबर

के अंत तक संशोधित क्रियाविधि सहित, यथाअपेक्षित संशोधित प्रमुख कार्यनिष्पादन और उसके भाग को प्रस्तुत करेगा जिसे आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जाएगा। जब तक कि आयोग द्वारा पुनरीक्षित नहीं किया जाता तब तक विगत वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक और उनके भार को 2028-29 तक अगले वित्तीय वर्ष तक लागू किया जाएगा।

- (6) प्रत्येक आरएलडीसी को केपीआई के लिए नब्बे प्रतिशत के कार्यनिष्पादन के लिए इसके वार्षिक एलडीसी प्रभारों के 12 प्रतिशत के प्रोत्साहन को वसूल करने की अनुमति होगी। 31 मार्च को समाप्त पूर्व वर्ष के कार्यनिष्पादन पर वर्ष में प्रोत्साहन की वसूली और संगणना के लिए विचार किया जाएगा।

परंतु कि प्रोत्साहन में समानुपाती आधार पर नब्बे प्रतिशत से अधिक के कार्यनिष्पादन पर प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि के लिए वार्षिक एलडीसी प्रभारों के 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

परंतु यह कि प्रोत्साहन में नब्बे प्रतिशत से कम के कार्यनिष्पादन स्तर पर प्रत्येक 3 प्रतिशत की कमी के लिए समानुपातिक आधार पर 1 प्रतिशत की कमी होगी।

- (7) सभी आरएलडीसी और एनएलडीसी (निगमित केन्द्र सहित) के व्यक्तिगत कर्मचारियों को संदेय प्रोत्साहन दिनांक 3.8.2017 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल- XIII/17 के अनुसार कार्यनिष्पादन संबद्ध पे (पीआरपी) के अनुसार होगा:

परंतु कि प्रत्येक आरएलडीसी या एनएलडीसी के लिए दिनांक 3.8.2017 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल- XIII /17 के अनुबंध-IV के अंतर्गत 'टीम के कार्यनिष्पादन घटक' इस विनियम के खण्ड (2) के अधीन अनुमोदित पद्धति के प्रत्येक आरएलडीसी, एनएलडीसी के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यनिष्पादन पर आधारित होगा :

परंतु यह कि कर्मचारियों को संदेय कार्यनिष्पादन संबद्ध पे आयोग द्वारा संबंधित वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन के अनुमोदित हो जाने तक 'बहुत अच्छा' के रूप में 'टीम रेटिंग' पर विचार करते हुए संगणित की जाएगी:

परंतु यह भी कि कर्मचारियों को संदेय पीआरपी की इस प्रकार की अनंतिम संगणना वर्ष के लिए प्रत्येक आरएलडीसी या एनएलडीसी के लिए वर्ष के लिए अनुमोदित

कार्यनिष्पादन के अनुसार भुगतान या वसूली के अध्याधीन होगी। इस प्रकार के समायोजन के लिए देय, कर्मचारियों के संबंध में भुगतान या वसूली, यदि कोई है, बिना ब्याज के की जाएगी।

- (8) डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार संगणित कार्यनिष्पादन संबंध पे की इस विनियम के अनुसार अनुमत प्रोत्साहन से पूर्ति की जाएगी।
- (9) आयोग द्वारा संबंधित वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंध प्रोत्साहन के अनुमोदन पर, आरएलडीसी प्रयोक्ताओं से वसूल किए गए पीपीएलआई (इन विनियमों के विनियम 26 के खंड (2) के अनुसार) और वर्ष के लिए अनुमोदित कार्यनिष्पादन पर आधारित संदेय पीआरपी, अनंतिम आधार पर कर्मचारियों को संवितरित पीआरपी पर आधारित वार्षिक मिलान (इस विनियम के खंड 6 के अनुसार) कार्यान्वित करेगा। प्रयोक्ताओं को या उनसे अतिरिक्त वसूली यदि कोई है संबंधित वर्ष के लिए आयोग द्वारा पीएलआई के अनुमोदन से एक माह के अंदर की जाएगी। इस प्रकार के वार्षिक मिलान के ब्योरे प्रत्येक आरएलडीसी और एनएलडीसी द्वारा किए गए मिलान के ब्योरे दर्शाते हुए डूअप याचिका सहित एनएलडीसी द्वारा दाखिल की जाएगी। इस कारण नियंत्रण अवधि के लिए, अपेक्षित डूइंग अप, यदि कोई है, नियंत्रण अवधि के लिए आरएलडीसी और एनएलडीसी के लिए डूइंग अप प्रभारों सहित की जाएगी।

29. प्रमाणपत्र के अर्जन के लिए आरएलडीसी और एनएलडीसी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन

- (1) आरएलडीसी और एनएलडीसी के कर्मचारियों को जो विशेषज्ञता के अपने संबंधित क्षेत्रों में आधारभूत स्तर, विशेषज्ञता स्तर और प्रबंधन स्तर का प्रमाणपत्र अर्जित करते हैं, निम्नलिखित दरों पर प्रत्येक तीन वर्षों में उसका नवीकरण करते हुए तथा प्रमाणपत्र के अर्जन के लिए प्रोत्साहन की अनुमति होगी:

क्र.सं.	प्रमाणपत्र स्तर	राशि (रुपयों में)
1.	आधारभूत	20000
2.	विशेषज्ञता	30000
3.	प्रबंधन	40000

परंतु कि एक प्रमाणपत्र से अधिक अर्जित करने वाला व्यक्ति, वह नवीकरण के समय पर उच्चतर प्रमाणपत्र के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्र होगा

- (2) (i) आधारभूत, विशेषज्ञता और प्रबंधन स्तर परीक्षाओं में उपस्थिति के लिए आवेदन या/और रजिस्ट्रेशन का भुगतान (ii) इन परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण व्यय के लिए भुगतान और (iii) प्रमाणपत्र के अर्जन के लिए प्रोत्साहन के भुगतान के लिए निधि पोषण एलडीसीडी निधि से किया जाएगा।

अध्याय-10

बिलिंग और अन्य विविध उपबंध

30. बिलिंग एवं प्रभारों का भुगतान

- (1) बिलों को इन विनियमों के अनुसार आरएलडीसी द्वारा मासिक आधार पर एलडीसी प्रभारों के लिए किया जाएगा और भुगतानों को भुगतान गेटवे के माध्यम से संबंधित आरएलडीसी को सीधे प्रयोक्ताओं द्वारा किया जाएगा।
- (2) एलडीसी प्रभारों के भुगतान करने से संबद्ध सभी लागत/व्यय/प्रभार का प्रयोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
- (3) किसी प्रयोक्ता द्वारा एलडीसी प्रभारों के भुगतान में सतत चूक को आयोग के नोटिस में लाया जाएगा।
- (4) प्रयोक्ता द्वारा संदेय प्रभारों को बकाया प्रभारों पर विलंबित भुगतान अधिभार के लिए पहले समायोजित किया जाएगा और उसके बाद दीर्घकालिक अतिदेय बिल से आरंभ होने वाले आरएलडीसी द्वारा किए गए मासिक प्रभार बिलों के लिए किया जाएगा।

31. विलंबित भुगतान अधिभार

- (1) इन विनियमों के अधीन संदेय प्रभारों के लिए किसी बिल के भुगतान के मामले में बिलिंग की तारीख से 45 दिनों की अवधि के आगे प्रयोक्ता द्वारा विलंब होता है तो इन विनियमों के विनियम 3 (5) के अनुसार बेस दर पर विलंबित भुगतान अधिभार प्रतिमाह प्रयोक्ताओं से उदग्रहित किया जाएगा। चूक के क्रमिक माह के लिए विलंबित भुगतान अधिभारों की दर में विलंब के प्रत्येक माह के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी बशर्ते कि विलंबित भुगतान अधिभार किसी भी समय पर बेस दर से 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

32. भुगतान सुरक्षा तंत्र का प्रचालनीकरण और इसके परिणाम:

- (1) प्रयोक्ता आरएलडीसी प्रभारों का नियमित भुगतान करेंगे। आरएलडीसी प्रभारों के भुगतान में चूक के मामले में संबंधित आरएलडीसी साखपत्र के रूप में बिना शर्त, प्रतिसंहरणीय और पर्याप्त पीएसएम बनाए रखने के लिए प्रयोक्त को निर्देश दे सकता है।
- (2) पीएसएम विगत वर्ष के अधिकतम मासिक एलडीसी प्रभारों के 110 प्रतिशत के समतुल्य होगा,
- (3) पीएसएम के गैर-रखरखाव के मामले में आरएलडीसी इन विनियमों के विनियम 33 के अनुसार प्रयोक्ताओं को निर्बाध पहुंच विनियमित कर सकते हैं।

33. चूक करने वाली इकाइयों को पहुंच का विनियम:

- (1) प्रयोक्ताओं द्वारा देयताओं के गैर-रखरखाव के मामले में या चूक ट्रिगर तारीख के बाद भुगतान सुरक्षा तंत्र के गैर-रखरखाव के मामले में, चूक करने वाली इकाई के लिए विद्युत के अनुसूचीकरण निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

- (क) पावर एक्सचेंज में शामिल करते हुए अल्पकालिक कांट्रेक्टो के माध्यम से विद्युत की बिक्री और खरीद के लिए पहले से अनुमोदित टी-जीएनए सहित टी-जीएनए पूरी तरह से विनियमित होगी:

परंतु यह भी कि एनएलडीसी ग्रिड सुरक्षा के लिए अपवादात्मक परिस्थितियों के अधीन स्थायी रूप से टी-जीएनए के विनियम का पुनरीक्षण कर सकती है और लिखित में ऐसा करने के लिए कारणों का रिकार्ड कर सकती है।

- (ख) यदि टी-जीएनए के विनियम के बाद एक महीने इसकी समग्रता में टी-जीएनए के अधीन अल्पकालिक कांट्रेक्टो के विनियम के अलावा अदत रहता है तो जीएनए के अधीन अल्पकालिक कांट्रेक्टो को संपूर्ण रूप से विनियमित किया जाएगा।

- (ग) अल्पकालिक कांट्रेक्टो से भिन्न कांट्रेक्टो के माध्यम से विद्युत की बिक्री व खरीद के लिए पहुंच के आहरण या कमी इस ढंग से होगी कि आहरण या अंतःक्षेपण में कमी की मात्रा में चूक के प्रत्येक माह के लिए दस प्रतिशत (10%) तक क्रमिक रूप से वृद्धि होती है।

- (2) चूक ट्रिगर तारीख के बाद, आरएलडीसी द्वारा सूचना पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चूक के मामले में, सीटीयू आरएलडीसी द्वारा इस प्रकार की सूचना के जारी होने की तारीख से सात दिनों के अंदर इस प्रकार के चूक करने वाले आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए वार्षिक रूप से पारेषण प्रभारों के लिए आहरिति डीआईसी से वसूल की गई राशि से आरएलडीसी के लिए देय रकम को अंतरित करेगा।
- (3) बकाया देयताओं के भुगतान पर या पर्याप्त भुगतान सुरक्षा तंत्र के रखरखाव पर, यथास्थिति, पहुंच का विनियम प्रचालन के लिए समाप्त हो जाएगा और पहुंच यथाशीघ्र बहाल हो जाएगी जो उस दिन को छोड़कर जिस पर भुगतान किया जाता है, एक दिन से अधिक नहीं होगी।

34. हेजिंग की लागत की वसूली या विदेशी दर भिन्नता

- (1) हेजिंग की लागत की वसूली या विदेशी दर भिन्नता आयोग के समक्ष किसी आवेदन के बिना प्रयोक्ताओं से आरएलडीसी द्वारा सीधे रूप से की जाएगी:

परंतु कि हेजिंग की लागत की वसूली या विदेशी दर भिन्नता के संबंध में प्रयोक्ताओं द्वारा किसी आपत्ति के मामले में, आरएलडीसी निर्णय के लिए आयोग के समक्ष उपयुक्त याचिका दाखिल कर सकता है।

35. छूट

- (1) आरएलडीसी द्वारा बिलों की प्रस्तुति के 5 दिनों की अवधि के अंदर आरटीजीएस भुगतान मोड या एनईएफटी के माध्यम से या प्रस्तुति पर साखपत्र के माध्यम से आरएलडीसी के बिलों के भुगतान के लिए 1.50% की छूट की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण: '5 दिन' की संगणना के मामले में, दिनों की संख्या किसी अवकाश पर विचार किए बिना क्रमिक रूप से गिनी जाएगी। तथापि यदि अंतिम दिन या अवकाश का दिन है तो छूट के प्रयोजन के लिए पांचवां दिन तत्काल परवर्ती कार्यदिवस के रूप में माना जाएगा (शासकीय राज्य सरकार के कैलेण्डर या आरबीआई का घोषित अवकाश के अनुसार जहां बिल की पावती या प्राप्ति के प्रयोजन के लिए लाभार्थी के प्रतिनिधि या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कार्यालय स्थित है)

- (2) जहां भुगतान 5 दिनों के बाद किसी दिन किए जाते हैं और आरएलडीसी द्वारा बिलों की प्रस्तुति के 30 दिनों के अंदर किए जाते हैं तो 1% की छूट की अनुमति होगी।

(3) कोई भी छूट बिल के जारी होने की तारीख से टी+31 दिन से टी+45 दिन तक के किए गए भुगतानों के लिए अनुमति नहीं होगी।

36. **दीर्घ आउटेज के अधीन प्रयोक्ताओं के लिए फीस एवं प्रभार देयताओं का व्यवस्थापन:** दीर्घ अवधि के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रिड से पूर्ण अलगाव के मामले में, प्रयोक्ता अस्थायी आधार पर अव-पंजीकरण के लिए संबंधित आरएलडीसी से अनुरोध कर सकता है। प्रयोक्ता को ग्रिड पहुंच के आरंभ के पूर्व इन विनियमों के विनियम 5(1) के अनुसार पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

37. **विवाद समाधान:** किसी विवाद की स्थिति में यदि पार्टियां विधि के अनुसार पारस्परिक निपटारे पर पहुंचने पर असफल रहती हैं तो कोई भी पार्टी विवाद के अधिनिर्णय के लिए सांविधिक पुनर्विनियमन सहित समय समय से यथासंशोधित केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 के अनुसार याचिका दाखिल कर सकती है।

38. **शिथिल करने की शक्ति:**

आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी उपबंध को स्वप्रेरणा से या एनएलडीसी या आरएलडीसी या किसी प्रयोक्ता द्वारा इसके समक्ष किए गए आवेदन पर ऐसे शिथिलीकरण से प्रभावित युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

39. **कठिनाई दूर करना:**

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकता है जो अधिनियम या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमों के उपबंधों से असंगत न हो, और जो इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए प्रभावी बनने के लिए कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत हों। आयोग समय समय से इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में और आकस्मिक या सहायक मामलों के संबंध में जिसे आयोग उपयुक्त समझता है, के कार्यान्वयन के संबंध में समय समय से आदेश और पद्धति निर्देश जारी कर सकता है।

हरप्रीत सिंह पृथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./357/2024-25]

परिशिष्ट

टैरिफ फाइल करने वाले प्रारूप (एनएलडीसी/आरएलडीसी)

परिशिष्ट-I

अनुसूची

एनएलडीसी/आरएलडीसी के लिए टैरिफ फाइल करने के लिए फार्म और अन्य सूचना/दस्तावेज की जांच सूची

फार्म सं.	टैरिफ फाइल करने के लिए फार्मेट (आरएलडीसी)	टिक
फार्म-1	सार शीट	
फार्म-2	इक्विटी पर रिटर्न संगणना	
फार्म-3क	वित्तीय पैकेज	
फार्म-3ख	पूंजीगत लागत का विवरण	
फार्म-3ग	अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्तपोषण	
फार्म-4क	मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना	
फार्म-4ख	वास्तविक ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की संगणना	
फार्म-4ग	विदेशी ऋण का ब्योरा	
फार्म-4घ	विभिन्न आरएलडीसी को कॉर्पोरेट ऋण आवंटन का ब्योरा	
फार्म-5क	मूल्यहास का विवरण	
फार्म-5ख	मूल्यहास दर की संगणना	
फार्म-6क	मानव संसाधन व्यय को छोड़कर प्रचालन एवं रखरखाव व्यय का ब्योरा	
फार्म-6ख	मानव संसाधन व्यय का ब्योरा	
फार्म-6ग	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय का ब्योरा	
फार्म-6घ	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय का ब्योरा	
फार्म-8	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	
फार्म-9	एलडीसी विकास निधि का वर्षवार विवरण (अनुमानित)	
फार्म-10	अन्य आय	

अन्य सूचना/दस्तावेज		
क्र.सं.	सूचना/दस्तावेज	टिक
1	आरएलडीसी/एनएलडीसी और कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए सभी अनुसूचियों और अनुबंध के साथ लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते।	
2	संबंधित ऋण करार की प्रतियां	
3	क) पूंजीगत लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां। बी) बोर्ड की मंजूरी, अनुमानित पूंजी लागत और औचित्य सहित कैपेक्स योजना	
4	क) इक्विटी भागीदारी करारों की प्रतियां और विदेशी इक्विटी के लिए आवश्यक अनुमोदन, यदि कोई हो। ख) बोर्ड की मंजूरी सहित एलडीसी विकास निधि का इक्विटी योगदान	
5	कोई अन्य संबंधित जानकारी, (कृपया निर्दिष्ट करें)	

नोट 1. याचिका की इलेक्ट्रॉनिक प्रति (वर्ड प्रारूप में) और इन प्रारूपों के अनुसार विस्तृत संगणना (एक्सेल प्रारूप में) और प्रस्तुत की गई कोई भी अन्य जानकारी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

फार्म-1

सार शीट

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम: _____

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	फार्म सं.	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2		3	4	5	6	7	8
1	इक्विटी पर रिटर्न#							
2	ऋण पूंजी पर ब्याज							
3	मूल्यहास							
4	ओ एंड एम व्यय							
5	मानव संसाधन व्यय							
6	एनएलडीसी* प्रभार और कॉर्पोरेट कार्यालय व्यय (आरएलडीसी के लिए)							
7	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (आरएलडीसी के लिए)							
	कुल							

#विनियम के अनुसार इक्विटी पर विचार करते हुए संगणना का विवरण प्रस्तुत किया जाना।

*आरएलडीसी के लिए लागू एनएलडीसी प्रभार और कॉर्पोरेट कार्यालय व्यय

याचिकाकर्ता

फार्म -2

इक्विटी पर रिटर्न के लिए संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम:							
मार्च वर्ष के अंत में							
विवरण	यूनिट	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7	8
इक्विटी पर रिटर्न की बेस दर	%						
कर दर	%						

इक्विटी पर रिटर्न के लिए विस्तृत संगणना

विवरण	यूनिट	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
आरएलडीसी आस्तियों के लिए 1.4.2024 को सकल इक्विटी							
ऐड कैप 2024-25 (वर्ष के दौरान औसत इक्विटी)							
ऐड कैप 2025-26 (वर्ष के दौरान औसत इक्विटी)							
ऐड कैप 2026-27 (वर्ष के दौरान औसत इक्विटी)							
ऐड कैप 2027-28 (वर्ष के दौरान औसत इक्विटी)							
ऐड कैप 2028-29 (वर्ष के दौरान औसत इक्विटी)							
कुल इक्विटी							
इक्विटी पर रिटर्न की दर							
इक्विटी पर रिटर्न							

नोट: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लागू आयकर दर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार दरों पर आधारित है।

याचिकाकर्ता

फार्म-3क वित्तीय पैकेज

एलडीसी का नाम: _____

1.4.2024 को परियोजना लागत: _____

आरंभ करने/उपयोग करने की तारीख: _____

(लाख रुपये में)

	वित्तीय पैकेज यथाअनुमोदित		आरंभ की तिथि/उपयोग में लाने/01.04.2024 तक वित्तीय पैकेज		1.4.2024 को यथास्वीकृत	
	मुद्रा	राशि	मुद्रा	राशि	मुद्रा	राशि
1	2	3	4	5	6	7
ऋण-I						
ऋण-II						
ऋण-III						
और इससे आगे						
इक्विटी-						
विदेशी						
घरेलू						
कुल इक्विटी						
ऋण: इक्विटी अनुपात						

याचिकाकर्ता

फार्म-3ख

पूँजीगत लागत का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम:

(लाख रुपये में)

		संगत तारीख को*
क	क) बहियों के अनुसार आरंभिक सकल ब्लॉक राशि	
	ख) उपरोक्त क(क) में पूँजीगत देनदारियों की राशि	
	ग) उपरोक्त क(क) सहित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत की राशि शामिल है	
	घ) उपरोक्त क(क) सहित आईडीसी (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत को छोड़कर) की राशि शामिल है	
ख	क) अवधि के दौरान सकल ब्लॉक राशि में अभिवृद्धि	
	ख) उपरोक्त ख(क) में पूँजीगत देनदारियों की राशि	
	ग) उपरोक्त ख(क) सहित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत की राशि शामिल है	
	घ) उपरोक्त ख(क) सहित आईडीसी की राशि	
ग	क) बहियों के अनुसार सकल ब्लॉक राशि का अंत	
	ख) उपरोक्त ग(क) में पूँजीगत देनदारियों की राशि	
	ग) उपरोक्त ग(क) सहित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत की राशि शामिल है	
	घ) उपरोक्त ग(क) सहित आईडीसी की राशि	

*संगत तारीख/तारीखों का अर्थ आरंभ की गई तारीख/प्रयोग की गई और वित्तीय वर्ष की आरंभ और अंत की तारीख है।

याचिकाकर्ता

फार्म-3ग

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्तपोषण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम :

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष (1.4.2024 से आरंभ)	संभावित / वास्तविक					स्वीकृत				
	वर्ष 1*	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और इससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और इससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कार्य/उपकरण में पूंजीकृत राशि										
वित्तपोषण विवरण										
एलडीसीडी फंड से ऋण										
ऋण-1										
ऋण-2 और आगे										
कुल ऋण										
इक्विटी										
आंतरिक स्रोत										
अन्य										
कुल										

*वर्ष 1 वित्तीय वर्ष के आरंभ / प्रयोग करने को संदर्भित करता है और वर्ष 2, वर्ष 3 आदि क्रमशः अगले वित्तीय वर्ष हैं।

याचिकाकर्ता

फार्म-4क

(लाख रुपये में)

मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना						
एलडीसी का नाम						
विवरण	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7
सकल मानकीय ऋण-आरंभिक						
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋण का संचयी पुनर्भुगतान						
शुद्ध मानकीय ऋण- आरंभिक						
वर्ष के दौरान एसीई के कारण वृद्धि/कमी						
वर्ष के दौरान मानकीय ऋण का पुनर्भुगतान						
शुद्ध मानकीय ऋण - अंतिम						
औसत मानकीय ऋण						
वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

फार्म-4ख

वास्तविक ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की संगणना*

एलडीसी का नाम: _____

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7	8
	ऋण - 1						
	सकल ऋण- आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक के ऋणों का संचयी पुनर्भुगतान						
	शुद्ध ऋण-आरंभिक						
	जोड़ें : वर्ष के दौरान आहरण						
	घटाएँ: वर्ष के दौरान ऋणों का पुनर्भुगतान						
	शुद्ध ऋण-अंतिम						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज दर						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण पुनर्भुगतान प्रभावी (तारीख इंगित किया जाना है)						
	ऋण-2...						
	ऋण -3 और आगे						
	कुल ऋण						

सकल ऋण- आरंभिक							
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी पुनर्भुगतान							
शुद्ध ऋण-आरंभिक							
जोड़ें : वर्ष के दौरान आहरण							
घटाएँ: वर्ष के दौरान ऋणों का पुनर्भुगतान							
शुद्ध ऋण - अंतिम							
औसत शुद्ध ऋण							
ऋण पर ब्याज							
ऋण पर ब्याज दर की भारित औसत							

*विदेशी ऋण के मामले में, भारतीय रुपये में संगणना प्रस्तुत की जानी है। यद्यपि, मूल मुद्रा में संगणना भी उसी फॉर्म में अलग से प्रस्तुत की जानी है।

याचिकाकर्ता

2	हेजिंग की अवधि									
3	हेजिंग की लागत									
	मुद्रा 2 [1]									
क 1	आहरण की तारीख पर									
2	मूलधन की अनुसूचित पुनर्भुगतान तिथि									
3	ब्याज की अनुसूचित भुगतान तारीख									
4	वित्तीय वर्ष के अंत में									
ख	हेजिंग के मामले में [3]									
1	हेजिंग की तिथि पर									
2	हेजिंग की अवधि									
3	हेजिंग की लागत									

याचिकाकर्ता

फॉर्म-5क

मूल्यहास का विवरण

एलडीसी का नाम:

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7
पूँजीगत लागत पर मूल्यहास						
वर्ष के दौरान मूल्यहास वसूली						
आस्तियों आदि अव- पूँजीकरण या बट्टे खाते के कारण संचयी मूल्यहास में की गई कटौती						
वर्ष तक संचयी मूल्यहास और मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम की वसूली की गई						

याचिकाकर्ता

फार्म-5ख

मूल्यहास दर की संगणना

एलडीसी का नाम:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	आस्ति का नाम *	31.03.2024 को सकल ब्लॉक, जो भी बाद में हो और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए 31.3.2029 तक	केविविआ की अनुसूचित मूल्यहास दर के अनुसार मूल्यहास दरें	31.03.2029 तक प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यहास राशि
	1	2	3	4=कॉलम2Xकॉलम3
1	भूमि (फ्रीहोल्ड, लीजहोल्ड)			
2	भवन एवं सिविल वर्क्स			
3	सहायक विद्युत आपूर्ति प्रणाली			
4	कार्यालय फर्नीचर और फर्निशिंग			
5	संचार उपकरण			
6	स्काडा हार्डवेयर टेस्ट उपकरण और स्पेयर सहित			
7	आईसीटी उपकरण			
8	साफ्टवेयर			
9	कुल			
	मूल्यहास की भारित औसत दर (%)			

*आस्ति का नाम अधिसूचना के साथ संलग्न मूल्यहास अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के विवरण के अनुरूप होना चाहिए।

याचिकाकर्ता

फार्म-6क

मानव संसाधन व्यय को छोड़कर प्रचालन और रखरखाव व्यय का ब्योरा

एलडीसी का नाम:

(लाख रुपये में)

	मद	2024-25	2025- 26	2026-27	2027-28	2028-29
	1	2	3	4	5	6
1	प्रचालन व्यय					
2	मरम्मत और रखरखाव व्यय					
3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय आदि					
4	कुल					

नोट:

- 1.संलग्न प्रारूप के अनुसार इन व्ययों का ब्योरा
- 2.एलडीसी [.....] द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

याचिकाकर्ता

फार्म-6ख

एलडीसी का नाम:

मानव संसाधन व्यय का ब्योरा

अवधि-	1	पिछले पाँच वर्षों का वास्तविक ब्योरा
	2	चालू वर्ष के प्रथम छह महीनों के लिए वास्तविक ब्योरा
	3	चालू वर्ष के पिछले छह महीनों के लिए अपेक्षित ब्योरा
	4	आगामी वर्ष के लिए प्रत्याशित ब्योरा

क्र.सं.	लेखा कोड	विवरण	कार्यकारी		गैर कार्यकारी		कुल
1	कर्मचारियों की संख्या						
2	वेतन						
3	ओवर-टाइम						
4	महंगाई भत्ता						
5	अन्य भत्ता						
6	बोनस						
7	उप योग (1 से 6)						
	अन्य स्टाफ लागत						
8	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति						
9	छुट्टी यात्रा रियायत						
10	मकान किराया की प्रतिपूर्ति						

11	स्टाफ को अंतरिम राहत						
12	अर्जित छुट्टी का नकदीकरण						
13	मानदेय						
14	वर्कमैन मुआवजा अधिनियम के तहत भुगतान						
15	अनुग्रहपूर्वक						
16	वीआरएस पर व्यय						
17	उप योग (8 से 16)						
18	कर्मचारी कल्याण खर्च						
19	टर्मिनल लाभ						
20	प्रावधान						
21	अन्य (विनिर्दिष्ट)						
22	मानव संसाधन विकास						
23	कुल (7+17+18+19+20+21 +22)						
24	राजस्व वसूली, यदि कोई है						
25	शुद्ध कुल (24-29)						

अतिरिक्त जानकारी

1 को कर्मचारियों की संख्या :						
	i) कार्यकारी						
	ii) गैर-कार्यकारी						
	iii) कुशल						
	iv) गैर-कुशल						

	कुल						
2	प्रति कर्मचारियों की संख्या						
	i) एमडब्ल्यू हैण्डल्ड						
	ii) एमकेडब्ल्यूएच हैण्डल्ड						

- | | |
|------|---|
| I) | किसी दिए गए मद के तहत मानव संसाधन व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि को उचित औचित्य के साथ वर्णित किया जाना चाहिए। |
| II) | डेटा लेखा परीक्षित तुलन पत्र पर आधारित होना चाहिए। |
| III) | पूर्व अवधि से संबंधित बकाया का विवरण, यदि कोई हो, अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए। |
| IV) | प्रत्येक वर्ष के दौरान वीआरएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाई जानी चाहिए। |
| V) | असामान्य खर्चों का विवरण, यदि कोई हो, अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। |

याचिकाकर्ता

फार्म-6ग

मरम्मत एवं रखरखाव व्यय का विवरण

एलडीसी का नाम:

क. मरम्मत एवं रखरखाव व्यय (वास्तविक)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक ब्योरे	चालू वित्तीय वर्ष			आगामी वर्ष के लिए अनुमानित
			प्रथम छह माह के लिए वास्तविक ब्योरे	शेष छह माह के लिए प्रक्षेपण	कुल	
1	भंडार और पुर्जों की खपत					
2	स्टोर और पुर्जों की हानि					
3	प्लांट एवं मशीनरी मरम्मत एवं रखरखाव					
4	सिविल कार्य मरम्मत और रखरखाव					
5	वार्षिक रखरखाव कांट्रैक्ट (4क+4ख+4ग)					
5क	प्लांट एवं मशीनरी					
5ख	सिविल मरम्मत और रखरखाव					
5ग	-अन्य					
6	अन्य (निर्दिष्ट)					

7	कुल (1+2+3+4+5+6)					
8	राजस्व वसूली, यदि कोई है					
9	शुद्ध योग (7-8)					

ख. मरम्मत एवं रखरखाव व्यय (विनियम के अनुसार)

(लाख रुपये में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष में 01 अप्रैल को पूंजी लागत स्वीकृत					
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय					
पूंजी लागत के प्रतिशत के रूप में मरम्मत एवं रखरखाव व्यय					

याचिकाकर्ता

फार्म-6घ

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय का ब्योरा

एलडीसी का नाम/:

क्र. सं.	विवरण	पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक ब्योरे (लाख रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष (लाख रुपये में)			आगामी वर्ष के लिए अनुमानित (लाख रुपये में)
			प्रथम छह माह के लिए वास्तविक ब्योरे	शेष छह माह के लिए प्रक्षेप	कुल	
वैधानिक बकाया						
1	अनुज्ञप्ति फीस					
2	किराया					
3	दर एवं कर					
4	बीमा					
5	दुर्घटना आरक्षित निधि में अंशदान					
6					
7					
8	उप योग:					
	संचार					
9	टेलीफोन एवं ट्रंक कॉल					
10	डाक एवं टेलीग्राम					
11	टेलेक्स, टेलीप्रिंटर शुल्क, टेलीफैक्स					
12	कुरियर शुल्क					
13	अन्य					
14	उप योग:					
	व्यावसायिक शुल्क					

15	विधि खर्च					
16	परामर्श शुल्क					
17	तकनीकी शुल्क					
18	लेखा - परिक्षक शुल्क					
19	अन्य शुल्क					
20	उप योग:					
	वाहन एवं यात्रा					
21	वाहन व्यय					
22	यात्रा खर्च					
23	वाहन का किराया शुल्क					
24	अन्य					
25	उप योग:					
	अन्य खर्च					
26	विद्युत शुल्क					
27	शुल्क एवं सदस्यता					
28	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ					
29	छपाई और स्टेशनरी					
30	विज्ञापन					
31	मनोरंजन					
32	वॉच एण्ड वार्ड					
33	विविध					
34	संगठनात्मक विकास व्यय दान					
35	दान					
36	उप योग:					
	सामग्री संबंधी खर्च					
37	सामग्री पर डीमर्ज एवं वेफ एज					
38	क्लियरिंग एवं वार्डिंग प्रभार के लिए					
39	ट्रांजिट बीमा					

40	उप योग:					
41	अन्य (निर्दिष्ट)					
42	कुल (8+14+20+25+36+40+41)					
43	राजस्व वसूली, यदि कोई है					
44	शुद्ध योग (42-43)					

याचिकाकर्ता

फार्म-7

प्रचालन व्यय का ब्योरा

एलडीसी का नाम/

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	कुल					

याचिकाकर्ता

फार्म-8

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की संगणना

आरएलडीसी का नाम/

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एचआर खर्चों को छोड़कर ओ एंड एम खर्च						
2	एचआर व्यय						
3	एनएलडीसी के लिए एचआर व्यय और ओ एंड एम व्यय का प्रभाजन						
4	प्राप्तियां						
5	कुल कार्यशील पूंजी						
6	ब्याज की दर						
7	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

फार्म-9

एलडीसी विकास निधि (अनुमानित)

एलडीसी का नाम: _____

(लाख रुपये में)	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
विवरण						
1	2	3	4	5	6	7
आरंभिक एलडीसी विकास निधि						
वर्ष के दौरान एलडीसी विकास निधि में वृद्धि						
कुल एलडीसी विकास निधि						
घटाया : पूंजी व्ययों का उपयोग						
घटाया : राजस्व व्ययों का उपयोग						
घटाया : शॉर्टफॉल से संबंधित एलडीसीडी का प्रयोग	प्रयोग के लिए.....					
	प्रयोग के लिए.....					
वर्ष के 31 मार्च को शुद्ध एलडीसी विकास निधि						
वर्ष के दौरान संचित औसत निधि						

नोट : परिवर्धन और उपयोग का अलग-अलग विवरण प्रत्येक वर्ष के लिए अलग शीट में उपलब्ध किया जाएगा।

याचिकाकर्ता

फार्म-10

अन्य आय

एलडीसी का नाम: _____

(लाख रुपये में) विवरण	31.3.2024 को	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7
अन्य आय- आरंभिक						
जोड़ना : अन्य आय						
वर्ष के दौरान और एलडीसीडी निधि के अधीन जमा की गई कुल आय						

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट-II

मूल्यहास अनुसूची

क्र.सं.	आस्ति विवरण	मूल्यहास दर
क	पूर्ण स्वामित्व के अधीन भूमि	0.00%
ख	लीज के अधीन भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	साइट की स्पष्ट लागत के लिए	3.34%
ग	अन्य आस्तियां	
क	भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
(i)	कार्यालय एवं आवासीय	3.34%
(ii)	संयंत्र और उपकरण युक्त	3.34%
(iii)	अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी के ढांचे	100.00%
(iv)	रोड या कच्चा रोड	3.34%
(v)	अन्य	3.34%
ख	ट्रांसफार्मर, कियोस्क, सब-स्टेशन उपकरण और अन्य नियत उपकरण (संयंत्र नींव सहित)	
(i)	100 केवीए और उससे अधिक रेटिंग वाले फाउंडेशन सहित ट्रांसफार्मर	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
ग	सौर पैनल / विंड मिल	5.28%
घ	विद्युत अवरोधक	
(i)	स्टेशन टाईप	5.28%
(ii)	पोल टाईप	5.28%
(iii)	सिंक्रोनस कन्डेन्सर	5.28%
ड.	बैटरियां	15.00%
(i)	संयुक्त बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	3.34%

च	केबल सपोर्ट प्रणाली सहित ओवर हेडलाइंस	
(i)	66 केवी से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर फैब्रिकेटेड स्टील प्रचालन लाइनें	3.34%
(ii)	टर्मिनल वोल्टेज पर 13.2केवी से अधिक परंतु 66केवी से अधिक नहीं फैब्रिकेटेड स्टील प्रचालन लाइनें	5.28%
(iii)	रेनफोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट पर स्टील की लाइनें	5.28%
(iv)	ट्रिटिड वुड सपोर्ट पर लाइनें	5.28%
छ	मीटर	5.28%
ज	स्व-प्रोपेल्ड वाहन	9.50%
झ	एयर कंडीशनिंग संयंत्र	
(i)	स्टेटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
जे(i)	कार्यालय फर्नीचर और फर्निशिंग	6.33%
(ii)	कार्यालय उपकरण	6.33%
(iii)	फिटिंग और उपकरणों सहित आंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग	5.28%
ट	उपकरणों पर किराया	
(i)	मोटर के अलावा	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
ठ	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो और उच्च फ्रिक्वेंसी कैरियर प्रणाली	15.00%
(ii)	टेलीफोन लाइन और टेलीफोन	15.00%
ड	आई.टी. उपकरण	15.00%
ढ	साफ्टवेयर	15.00%
न	कवर नहीं की गई अन्य आस्तियाँ	5.28%

*लीज भूमि के साल्वेज माल का मूल्य लीज करार के अनुसार होगा।

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट-III

(विनियम 5 के अनुपालन में)

1. इकाई का नाम (बड़े अक्षरों में):
2. पंजीकृत कार्यालय का पता :
3. क्षेत्र जहां रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है :
 - i. उत्तर-पूर्व
 - ii. उत्तर
 - iii. पूर्व
 - iv. पश्चिम
 - v. दक्षिण
4. श्रेणी प्रयोक्ता:
 - i. उत्पादन स्टेशन
उप श्रेणी - हाइड्रो, थर्मल, परमाणु, नवीकरणीय-पवन / सौर / हाइब्रिड, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र, नवीकरणीय पावर पार्क डेवलपर्स, स्टैंडअलोन स्टोरेज सिस्टम
 - ii. क्रेता
 - iii. विक्रेता
 - iv. बल्क उपभोक्ता
 - v. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी
 - vi. वितरण अनुज्ञप्तिधारी
 - vii. व्यापार अनुज्ञप्तिधारी
 - viii. पावर एक्सचेंज
 - ix. स्टैंड अलोन स्टोरेज प्रणाली
क्यूसीए / एग््रीगेटर
 - x. एसएनए
 - xi. अन्य

5. प्रयोक्ता ब्योरे (पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक):

I. श्रेणी – उत्पादन स्टेशन

- i. कुल संस्थापित क्षमता
- ii. प्रदान की गई जीएनए की मात्रा (मेगावाट)
- iii. आईएसटीएस से संबंधित प्वाइंटस :

क्र. सं.	प्वाइंट आफ कनेक्शन	वॉल्टेज स्तर (केवी)	इस स्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटर (मुख्य) की संख्या

II. श्रेणी – क्रेता / विक्रेता / वितरण अनुज्ञप्ति / बल्क उपभोक्ता / एसएनए / क्यूसीए

- i. प्रदान की गई जीएनए की मात्रा (मेगावाट)
- ii. आईएसटीएस से प्वाइंटस आफ कनेक्शन :

क्र. सं.	संबंधित प्वाइंट	वॉल्टेज स्तर (केवी)	इस स्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटर (मुख्य) की संख्या

III. श्रेणी – वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अंतर-राज्यिक)

- i. सब-स्टेशन

क्र.सं.	सबस्टेशन का नाम	ट्रांसफार्मर की संख्या	यदि स्विचिंग स्टेशन है तो कुल परिवर्तन क्षमता या डिजाइन एमवीए हैण्डलिंग क्षमता

- ii. पारेषण लाइनें : (पंक्तिवार ब्योरे दिया जाए)

क्र.सं.	वॉल्टेज स्तर (केवी)	पारेषण लाइनों की संख्या	कुल सर्किट - किलोमीटर

IV. श्रेणी : पावर एक्सचेंज / व्यापार अनुज्ञप्ति : कृपया ब्योरे निर्दिष्ट करें।

V. श्रेणी (अन्य): कृपया ब्योरे निर्दिष्ट करें।

6. एलडीसी [...] से संबंधित बिलिंग के लिए संपर्क व्यक्ति का ब्योरा :

- i. नाम:
- ii. पद:
- iii. टेलीफोन नं.:
- iv. ई-मेल पता:
- v. डाक पता:

7. अन्य ब्योरे:

- i. पैन सं.:
- ii. आईजीएसटी सं.:
- iii. बैंक एकाउंट सं.:
- iv. बैंक का नाम व पता:
- v. एमआईसीआर नं.:

उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

स्थान:

नाम:

तारीख:

पदनाम:

संपर्क नं.:

परिशिष्ट-IV

एनएलडीसी के लिए मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक का निर्धारण

एनएलडीसी का नाम: _____ कार्यनिष्पादन वर्ष: _____

श्रेणी	पूर्ण रूप से भारित	क्र.सं.	मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक	भार
(क) ग्रिड विश्वसनीयता सुनिश्चित करना	25	i	रिजर्व का अनुमान	20
		ii	सुरक्षा नियंत्रित इकाई प्रतिबद्धता (एससीयूसी) और सुरक्षा नियंत्रित आर्थिक प्रेषण (एससीईडी) को अंतिम रूप देना, और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना	20
		iii	प्राथमिक, द्वितीयक का नियोजन और तृतीयक सहायक सेवाएँ	20
		iv	संसाधन पर्याप्तता योजना	20
		v	इकाई द्वारा उनकी अनुसूची से विचलन की निगरानी और विनियमन करना	10
		vi	बाजार प्रचालन और संबंधित गतिविधियों की निगरानी	10
(ख) विनियामक अनुपालन और स्टेकहोल्डरों की संतुष्टि	15	i	निर्देशों का अनुपालन आदेश के माध्यम से निर्देशों सहित अनुपालन।	20
		ii	मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने की समय-सीमा	20
		iii	विनियमों सहित अनुपालन	20
		iv	विभिन्न विनियमों के अधीन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की समय-सीमा	10
		v	हितधारकों से प्राप्त फीडबैक का निर्धारण	20

		vi	शैडो पायलट/सैंडबॉक्स चलाना और समयसीमा का पालन करना	10
(ग) आंतरिक प्रक्रिया	10	i	निर्णय समर्थन प्रणाली की उपलब्धता-एससीएडीए	40
		ii	आईएसओ प्रमाणित	20
		iii	प्रक्रिया प्रलेखन - ब्लैक स्टार्ट, रिएक्टिव पावर	40
(घ) ग्रिड प्रचालन और बाज़ार कार्य	40	i	विद्युत व्यवस्था और बाजार कार्यप्रणाली को सुविधाजनक बनाना <ul style="list-style-type: none"> पावर मार्केट लेनदेन (सामूहिक और द्विपक्षीय), आरईसी, एससीईआरटीएस विद्युत प्रणाली की कार्यप्रणाली: एफआरसी की संगणना और रिपोर्टिंग, पारेषण घाटे की घोषणा, क्रॉस बॉर्डर सहित स्टैकहोल्डर की बैठकें 	20
		ii	केविविआ अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2020 के अधीन निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार पारेषण प्रभारों की गणना	20
		iii	सूचना प्रसार <ul style="list-style-type: none"> एटीसी / टीटीसी अनुसूचित संव्यवहार 	20
		iv	समय पर लेखा तैयार करना <ul style="list-style-type: none"> इंटरकनेक्शन मीटर त्रुटि रिपोर्टिंग सहायक सेवाएं एससीयूसी और एससीईडी 	10
		vi	आईईजीसी2023 की निगरानी और अनुपालन कोड के अनुरूप स्व-ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना	15
		vii	आईईजीसी 2023 के प्रचालन कोड के अनुरूप दैनिक मांग का अनुमान	15

(ड.) अधिगम और विकास	10	i	नई तकनीक को अंगीकार करना/आर एंड डी	30
		ii	डेटा गहन रिपोर्टों के माध्यम से सीखे गए अध्याय और ज्ञान का प्रसार	30
		iii	पात्र ऑपरेटरों के बीच प्रमाणित ऑपरेटरों के एचआर-% की पर्याप्तता	20
		iv	<ul style="list-style-type: none"> • क्षमता निर्माण • प्रति पात्र कर्मचारी प्रति वर्ष मानव दिवसों की संख्या • एफओएलडी एलडीसी और विनियामकों की बैठकें/कार्यशालाएं/वार्षिक सम्मेलन	20
कुल	100			

आरएलडीसी के लिए मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक का निर्धारण

आरएलडीसी का नाम: _____

कार्यनिष्पादन वर्ष : _____

श्रेणी	पूर्ण रूप से भारित	क्र.सं.	मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक	भारित
(क) ग्रिड विश्वसनीयता सुनिश्चित करना	25	i	रिजर्व का अनुमान	20
		ii	अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय इकाई उत्पादन स्टेशनों के लिए एससीईडी और चालू एससीयूसी के माध्यम से अनुसूचीकरण का अनुकूलन	20
		iii	प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहायक सेवाओं की तैनाती	20
		iv	मांग, वायु से उत्पादन, सौर, ईएसएस और नवीकरणीय ऊर्जा हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन जो कि प्रादेशिक इकाइयों का अनुमान	20
		v	इकाई द्वारा अपनी अनुसूची से विचलन की मॉनिटरिंग और विनियमन	20
(ख) विनियामक अनुपालन और स्टेकहोल्डरों की संतुष्टि	15	i	अनुबंधित टाइमलाइन के अंदर आदेश के माध्यम से निर्देशों का अनुपालन	20
		ii	मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए टाइमलाइन	20
		iii	विनियम का अनुपालन	30
		iv	स्टेकहोल्डर से प्राप्त की गई फीडबैक का निर्धारण	30
(ग) आंतरिक प्रक्रिया	10	i	नियंत्रण सपोर्ट प्रणाली - एससीएडीए की उपलब्धता	40
		ii	आईएसओ प्रमाणन	20
		iii	प्रलेखीकरण-ब्लैक स्टार्ट, रिएक्टिव पावर प्रक्रिया	40

(घ) ग्रिड प्रचालन और बाजार कार्यप्रणाली	40	i	टैरिफ विनियम 2024 के अनुसार उत्पादन स्टेशन के लिए (औसत मासिक फ्रिक्वेंसी प्रतिक्रिया कार्यनिष्पादन) B का अभिकलन	15
		ii	विद्युत प्रणाली और बाजार कार्यप्रणाली को सुविधाजनक बनाना <ul style="list-style-type: none"> पावर मार्केट लेनदेन (सामूहिक और द्विपक्षीय), आरईसी, एससीईआरटीएस विद्युत प्रणाली की कार्यप्रणाली: एफआरसी की संगणना और रिपोर्टिंग, पारेषण घाटे की घोषणा, क्रॉस बॉर्डर सहित स्टैकहोल्डर की बैठकें 	20
		iii	रखरखाव प्रणाली विश्वसनीयता <ul style="list-style-type: none"> एफडीआई वीडीआई रखरखाव शटडाउन समन्वयन 	20
		iv	सूचना प्रसार <ul style="list-style-type: none"> एटीसी / टीटीसी अनुसूचित लेन-देन 	15
		v	समय पर लेखा तैयार करना <ul style="list-style-type: none"> इंटरकनेक्शन मीटर त्रुटि रिपोर्टिंग सहायक सेवाएं सहायक सेवाएं एससीयूसी और एससीईडी 	10
		vi	आईईजीसी2023 की निगरानी और अनुपालन कोड के अनुरूप स्व-ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना	10
		vii	आईईजीसी 2023 के प्रचालन कोड के अनुरूप दैनिक मांग का अनुमान	10
(ड.) अधिगम और विकास	10	i	नई तकनीक को अंगीकार करना/आर एंड डी	30

		ii	डेटा गहन रिपोर्टों के माध्यम से सीखे गए अध्याय और ज्ञान का प्रसार	30
		iii	पात्र ऑपरेटरों के बीच प्रमाणित ऑपरेटरों के एचआर-% की पर्याप्तता	20
		iv	<ul style="list-style-type: none"> • क्षमता निर्माण • प्रति पात्र कर्मचारी प्रति वर्ष मानव दिवसों की संख्या • एफओएलडी एलडीसी और विनियामकों की बैठकें/कार्यशालाएं/वार्षिक सम्मेलन 	20
कुल	100			

परिशिष्ट-V

मानव संसाधन की अपेक्षाएं - नियंत्रण अवधि के लिए प्रक्षेप:I. स्तर वार अनुमानित जनशक्ति

ग्रेड	विवरण	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
बोर्ड	निदेशक					
ड.9	कार्यकारी निदेशक					
ड.8	महाप्रबंधक / वरिष्ठ महाप्रबंधक / मुख्य महाप्रबंधक					
ड.7	उपमहाप्रबंधक / वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक					
ड.5-ड.6	प्रबंधक / मुख्य प्रबंधक					
ड.3-ड.4	कार्यकारी प्रशिक्षु / सहायक प्रबंधक/ उप प्रबंधक					
ड.2	अभियांत्रिकी / अधिकारी					
कुल	कुल कार्यकारी					
एनई	पर्यवेक्षक / कनिष्ठ अभियांत्रिकी/ वर्कमैन					
ई/एनई	गैर-कार्यकारी से कार्यकारी का अनुपात = (कुल)/(एनई)					

II. वैध प्रमाणपत्र प्राप्त भार प्रेषण केन्द्र में कर्मियों की संख्या (संबंधित वर्ष के 31 मार्च को)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
ए	प्रमाणित कार्यकारी – बेसिक स्तर					
बी	प्रमाणित कार्यकारी - विशेषज्ञ					
एफ	प्रमाणित कार्यकारी – प्रबंध स्तर					
जी	कुल प्रमाणित कार्यकारी की संख्या					
एच	कार्यकारी की संख्या					

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. L-1/271/2024/CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-section 4 of Section 28 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER-1
PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2024.
- (2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette and, unless reviewed, modified earlier or extended by the Commission, shall be applicable during the control period from 1.4.2024 to 31.3.2029.

2. Scope and extent of application

- (1) These regulations shall be applicable for the determination of fees and charges to be collected by Regional Load Despatch Centres from the generating companies, distribution licensees, bulk consumers, inter-State transmission licensees, buyers, sellers, inter-State trading licensees, Settlement Nodal Agency (SNA) and any other users.

3. Definitions: In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (1) **'Act'** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (2) **'Additional Capital Expenditure'** means the capital expenditure incurred or projected to be incurred during the control period by RLDCs and NLDC and admitted by the Commission after a prudence check;

- (3) **‘Annual LDC Charges (ALC)’**: The Annual LDC charges (ALC) shall mean and include the aggregate revenue requirement (ARR) for meeting the annual expenditure to be incurred by the RLDCs and NLDC as approved by the Commission.
- (4) **‘Auditor’** means an auditor appointed by the Grid-India, in accordance with the provisions of sections 224, 233B, and 619 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as amended from time to time or Chapter X of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any other law for the time being in force;
- (5) **‘Bank Rate’** means the one year marginal cost of lending rate (MCLR) as specified by the State Bank of India issued from time to time or any replacement thereof for the time being in effect, plus 100 basis points;
- (6) **‘Base rate of Late Payment Surcharge’** shall have the same meaning as defined in the Ministry of Power –Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022;
- (7) **‘Buyer’** means an entity other than a regional entity, buying power under General Network Access (GNA) and whose scheduling through inter-State transmission system is coordinated by the Regional Load Despatch Centres;
- (8) **‘Capital Cost’** means the capital cost as defined in Regulation 13 of these regulations;
- (9) **‘Capital Expenditure’ or ‘CAPEX’** means the expenditure of capital nature planned to be incurred during the control period for the creation of assets of the Regional Load Despatch Centres or National Load Despatch Centre [including Corporate Centre (CC)], as the case may be;
- (10) **‘Charges’** means recurring payments on a monthly basis to be collected by the Regional Load Despatch Centres for the services rendered by National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centres, and Grid-India;
- (11) **‘Commission’** means Central Electricity Regulatory Commission referred to in subsection (1) of section 76 of the Act;
- (12) **‘Control Period’** means a period of five years starting from 1.4.2024;
- (13) **‘Day’** means the 24-hour period starting at 00:00 hour;
- (14) **‘Defaulting Entity’** means any user of RLDCs or NLDC having outstanding dues of Annual LDC Charges;

- (15) **'Default trigger date'**,
- (i) In case of non-payment of dues, shall be 75 days after the presentation of the bill by the RLDCs, and;
 - (ii) In case of non-maintenance of the payment security mechanism, shall be the next bank working day after the payment security mechanism is due to be replenished but is not replenished;
- (15) **'Due date'** means 45 days from the date of presentation of the bill by the RLDCs;
- (16) **'Effective tax rate'** shall be as per Regulation 31 of the Tariff Regulations 2024;
- (17) **'Expenditure Incurred'** means the fund, whether equity or debt or both, actually deployed and paid in cash or cash equivalent for the creation or acquisition of a useful asset and does not include commitments and the liabilities for which no payment has been made;
- (18) **'Fees'** means the non-refundable fixed payment collected by the Regional Load Despatch Centres or National Load Despatch Centre for the services rendered for commencement of grid access and scheduling and on account of registration, membership, or any other purpose as specified by the Commission from time to time;
- (19) **'Forum of Load Despatchers (FOLD)'** means the body constituted by the Forum of Regulators (FOR) and having NLDC, RLDCs, and SLDCs as its members with a secretariat at NLDC.
- (20) **'Grid Access'** means the permission granted by the concerned RLDC for integration of the generating station, including a stage or unit of the generating station, or licensees, or buyers or bulk consumers or sellers with the grid on meeting the technical requirements as per the applicable CEA Standards and CERC Regulations;
- (21) **'Grid Controller of India Limited (Grid-India)'** means a company entrusted with the operation of the National Load Despatch Centre in accordance with Section 26 of the Act and Regional Load Despatch Centres in accordance with Section 27 of the Act or any functions assigned by the Government of India or the Commission from time to time under the Act;
- (22) **'Human Resource Expenses' or 'HR Expenses'** means the expenditure incurred on human resources, human resource development and training of manpower of RLDCs, NLDC (including corporate centre), and other entities as per these regulations;

- (23) **'LDC Development fund'** is the fund created and maintained by Grid-India for the purposes specified in Regulation 24 of these regulations;
- (24) **'Late Payment Surcharge'** means the charges payable by a user(s) of the RLDC on account of delay in payment of bills raised by the RLDC beyond the due date;
- (25) **'Licensee'** means a person granted a license under Section 14 of the Act;
- (26) **'Market Operation Function'** means functions related to the power market as per Regulation 6(1) of these Regulations;
- (27) **'National Load Despatch Centre' or 'NLDC'** means the Load Despatch Centre at the national level established by the Central Government under sub-section (1) of Section 26 of the Act;
- (28) **'Operation and Maintenance Expenses' or 'O&M expenses'** means the O&M expenses as defined in Regulation 21 of these regulations
- (29) **'Other Support Functions'** means the functions performed by the RLDCs and NLDC and includes but are not limited to accounting, taxation and TDS reconciliation, settlement, billing and collection of charges, contracts, human resource administration, management information system, legal and regulatory affairs, rendering inputs for policy making, and to assist in other works as assigned to it time to time by the Commission or by Government of India;
- (30) **'Qualified Coordinating Agency' or 'QCA'** shall have the same meaning as defined under the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023;
- (31) **'Reference Rate of Interest'** means the rate as defined in the Tariff Regulations 2024;
- (32) **'Region'** means any one of the regions demarcated by the Central Government under Section 25 of the Act;
- (33) **'Regional entity'** means an entity whose scheduling, metering, and energy accounting is done at the regional level by the concerned Regional Load Despatch Centre;
- (34) **'Regional Load Despatch Centre' or 'RLDC'** means the Centre for each region established by the Central Government under sub-section (1) of section 27 of the Act;
- (35) **'Regulatory Pool Account'** means the account operated by the RLDCs or NLDC under the relevant regulations or orders by the Commission for handling Deviation Settlement Charges, Reactive Energy Charges, Ancillary Services Operation, Congestion Charges

and Congestion Revenue amount due to market splitting or any other pool account/ market product which may be operated by RLDCs or NLDC from time to time as per the Regulations or directions of the Commission;

- (36) **'Scheme'** means the facilities and equipment associated with and installed or proposed to be installed at the RLDCs, NLDC, and Corporate Centre of Grid-India, as the case may be;
- (37) **'Seller'** means an entity other than a regional entity, supplying power through GNA and whose scheduling through inter-State transmission system is coordinated by RLDCs or NLDC, as the case may be;
- (38) **'State Load Despatch Centre (SLDC)'** means the Centre established under sub-section (1) of section 31 of the Act;
- (39) **'Settlement Nodal Agency' or 'SNA'** shall have the same meaning as defined under the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023;
- (40) **'System Operation Function'** shall be as per Regulation 6(3) of these regulations;
- (41) **'Tariff Regulations 2024'** shall mean the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2024;
- (42) **'Users'** shall have the same meaning as defined in Regulation 8 of these regulations;
- (43) **'Year'** means a financial year;
- (44) **'Zero Date'** means the date indicated in the Investment Approval for commencement of implementation of the project, and where no such date has been indicated, the date of Investment Approval shall be considered as Zero Date;
4. Words and expressions used in these regulations that are not defined herein but defined in the Act or other regulations of the Commission shall have the meaning as assigned to them under the Act or the said regulations of the Commission. Reference to any Acts, Rules and Regulations shall include amendments or consolidation or re-enactment thereof.

CHAPTER-2

GENERAL

5. Registration

- (1) The users, as specified in Regulation 8, shall register with the respective Regional Load Despatch Centre (RLDC) or National Load Despatch Centre (NLDC), as the case may

be, for the commencement of Grid Access and for availing system operation services of RLDCs or NLDC by making payment of registration fees in accordance with Regulation 25 of these regulations and filing an online application in the format as prescribed in Appendix-III of these regulations, as under:

- (a) All generating stations, including captive generating plant and Standalone storage system, distribution licensees, bulk consumers, buyers, sellers, QCA, SNA, Renewable Power Park developers, and inter-State transmission licensees or any other regional entity intending to avail the grid access shall register themselves with concerned Regional Load Despatch Centre responsible for scheduling, metering, energy accounting and switching operations, not less than 30 days prior to intended date of commencement of Grid access:

Provided that when a unit is added to a generating station or an element is added to a transmission system, the generating company or transmission licensee, as the case may be, shall send an intimation to the concerned RLDC(s) not less than 30 days prior to the intended date of commencement of grid access for such addition, for updating its records;

Provided further that the RLDCs concerned shall be intimated from time to time by the inter State transmission licensees about the addition of transmission elements synchronized with the grid and about the additional GNA quantum by the distribution licensees, bulk consumers, buyers, sellers, and SNA, if any, by the 10th of every month (as on last day of the previous month) for the purpose of updating the record by the concerned RLDC;

Provided also that regional entities shall register with respective RLDC or NLDC, as the case may be, prior to seeking first time energisation in terms of the CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023.

- (b) The power exchanges and trading licensees who intend to avail the services of RLDCs and NLDC shall register themselves with the National Load Despatch Centre not less than 30 days prior to the intended date of availing of the services.

- (2) Upon submission of the online application for registration, auto-generated acknowledgement for receipt of the application shall be issued by the concerned RLDC or NLDC, as the case may be.
- (3) After scrutiny, the concerned RLDC or NLDC, as the case may be, shall intimate the deficiencies in the application, if any, to the applicant within Seven (7) working days of receipt of the application. The applicant shall rectify the deficiency within one week thereafter, failing which the application shall be closed.
- (4) The concerned RLDC or NLDC, as the case may be, after scrutinizing applications for registration and on being satisfied with the correctness of the information furnished in the application shall register the applicant and send a written intimation thereof to the applicant.
- (5) RLDCs or NLDC, as the case may be, shall maintain a list of registered users on their website along with their date of registration.
- (6) RLDCs or NLDC may, after issuing a notice of at least one month, de-register a user in case of (i) termination of full quantum of connectivity or (ii) termination of full quantum of GNA or (iii) continuous default in payment of charges covered under these regulations for more than 120 days from the due date. A user can subsequently re-register once the default has been cured by following the registration process as specified under Regulation 5(1) of these regulations.
- (7) The eligible entities which have been registered with RLDCs or NLDC, and which have undergone a change in the name or legal status after the grant of registration shall inform, along with relevant documents from the appropriate authority such as Registrar of Companies or National Company Law Tribunal or any other Court, to the concerned RLDC or NLDC which shall, upon verification of the documents, update such change in its records within 30 days from the date of such information.

6. Functions of RLDC and NLDC

- (1) NLDC and RLDCs shall discharge functions assigned under the Act and the Rules and Regulations made under the Act. The broad categorisation of functions is detailed under sub-clauses of this Regulation.

- (2) Market Operation functions include but shall not be limited to the following functions:
 - (a) Facilitating grid access to new entities, including but not limited to first time charging of elements,
 - (b) Open access administration,
 - (c) Finalization of Inter-change schedules for energy accounting,
 - (d) Facilitation and monitoring of Day Ahead Market and Term Ahead Market,
 - (e) Facilitation and Monitoring of Real Time Market,
 - (f) Facilitation and Monitoring of Ancillary Services Market,
 - (g) Interface energy metering.
- (3) Registry functions under Renewable Energy Certificate (REC), Energy Savings Certificates (ESCerts), and similar other schemes as directed by the Commission or Government of India from time to time.
- (4) System operation functions include Real Time Grid Operation, operational planning, scheduling and despatch on day-ahead and real time basis, post-despatch analysis, Information dissemination and any other function(s) assigned to the RLDCs or NLDC, as the case may be, under the Act or Regulations or orders issued by the Commission from time to time.

7. Capital Expenditure (CAPEX)

- (1) The RLDCs and NLDC shall formulate the plan for capital expenditure (CAPEX plan) for the creation of new assets during the control period duly approved by the Board of Directors of Grid-India.
- (2) The CAPEX plan shall include the capital expenditure to be incurred during the control period for the following:
 - (a) Up-gradation, modernization, automation, and expansion of infrastructure along with details of estimated expenditure and estimated completion period of each scheme;
 - (b) Replacement of existing assets after completion of their useful life;

- (c) Replacement of the existing assets due to the obsolescence of technology;
 - (d) Adoption of State-of-the-Art IT and communication systems;
 - (e) Cyber security requirements;
 - (f) Any innovative schemes, R&D projects, and pilot projects for better grid operation;
 - (g) Disaster Recovery Control Centres for RLDCs and NLDC;
 - (h) Procurement of Land for office or residential quarters, construction and renovation of civil structures inter-alia for office building, staff quarters;
 - (i) Replacement or procurement of infrastructure facilities necessary for smooth, secure, and efficient system operation and day-to-day office works;
 - (j) Need for higher security and safety of the establishment;
 - (k) Installation of new assets, replacement of the assets or equipment before completion of their useful life, on account of change in law or force majeure conditions or not being compatible with upgradations under cyber security guidelines, as approved by the Commission;
 - (l) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance with the directions or order of any statutory authority, or order or decree of any court of law.
- (3) In case of replacement of existing assets, RLDCs and NLDC, as the case may be, shall furnish to the Commission, the details such as the reasons for replacement, proposed date of replacement, cumulative depreciation recovered up to the proposed date of replacement, cumulative repayment of loan up to the proposed date of replacement, writing off of the gross value of the original assets from the original fixed assets along with estimated expenditure and estimated completion period of each scheme.
- (4) Consolidated schemes of CAPEX shall be dealt with as follows:
- (a) CAPEX involving NLDC and all RLDCs shall form part of the CAPEX plan of NLDC;
 - (b) In case of CAPEX involving one or more RLDCs and/ or NLDC, the CAPEX chargeable to each RLDC shall be segregated and shall form part of the CAPEX plan of the concerned RLDC or NLDC, as the case may be.

- (5) Any CAPEX required to be incurred during the control period due to force majeure or change in law (where force majeure and change in law shall be in accordance with the Tariff Regulations 2024) or directions of the Commission or other statutory bodies which did not form part of the CAPEX plan shall be considered at the time of true up:

Provided that where the additional capital expenditure involved for CAPEX is more than 20% of the capital expenditure approved for the control period, a separate petition may be filed during the control period.

8. Users

- (1) User for the purpose of these regulations shall be as under:
- (a) A generating station or stage or unit thereof whose scheduling, metering, and energy accounting are carried out separately for each stage or unit, such generating station or stage or unit shall be considered as a user for the purpose of sharing of Annual LDC Charges (ALC) in accordance with Regulation 27 of these regulations and for payment of registration fees in accordance with Regulation 25 of these regulations;
 - (b) The captive generating plant and Standalone storage system shall be considered as a user for the purpose of these regulations;
 - (c) In the case of inter-State transmission licensees, each region where the licensee has the operation shall be considered as a user for the purpose of these regulations;

Provided that the inter-State transmission licensee for cross border link shall be considered as a user for the purpose of these regulations.

- (d) Where any cross-border generating station is connected to the inter-State transmission system of the Indian Grid and is injecting power through GNA or T-GNA, the SNA designated by the Government of India for coordinating the scheduling, metering, and energy accounting for the transactions carried out for import of electricity through the said transmission system shall be considered as a user for the purpose of these regulations;
- (e) Where any cross-border buying entity is connected to the inter-State transmission system of the Indian Grid and is drawing power through GNA or T-GNA, the SNA designated by the Government of India for coordinating the scheduling, metering, and

energy accounting for the transactions carried out for export of electricity through the said transmission system shall be considered as a user for the purpose of these regulations;

- (f) Sardar Sarovar Project (SSP), Damodar Valley Corporation (DVC), and Bhakra Beas Management Board (BBMB), whose scheduling, metering, and energy accounting are carried out by the concerned RLDCs, shall be considered as users of the respective Regional Load Despatch Centres for the purpose of these regulations;
 - (g) Distribution licensee for the purpose of drawl of power or sale of power through ISTS;
 - (h) Any other entity which may use services of the RLDCs and NLDC from time to time;
- (2) Buyers, bulk consumers, sellers, Renewable Power Park Developer, ESS, QCAs and SNA shall be considered as users of the respective Regional Load Despatch Centres for the purpose of these regulations.
- (3) The power exchanges and Inter State trading licensees shall be considered as users of NLDC.

CHAPTER-3 DETERMINATION OF CHARGES

9. Truing up of Annual LDC Charges for the period 2019-2024

- (1) The annual LDC charges for the period 2019-24 shall be trued up in accordance with the provisions of Regulation 13 of Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of RLDC and NLDC) Regulations, 2019. The capital cost admitted as on 31.3.2024 based on the truing up shall form the basis of the opening capital cost as on 1.4.2024 for the determination of the annual LDC charges for the control period 2024-2029.

10. Determination of fees and charges for the period 2024-29

- (1) The NLDC shall file a petition on behalf of NLDC [including Corporate Centre (CC)] and all RLDCs, in the formats annexed as **Appendix-I** to these regulations within 180 days

from the date of notification of these regulations, for determination of fees and charges for the control period 2024-29, based on the capital expenditure incurred and duly certified by the auditor as on 31.03.2024 and projected to be incurred during the control period 2024-29 based on CAPEX plan.

- (2) Before filing the petition, NLDC shall serve a copy thereof on the users and submit proof of service along with the petition. The concerned RLDCs and NLDC shall also keep the complete petition posted on its website till the disposal of the petition inviting comments from the public. Any suggestions or objections received from the public within 60 days of posting the petition shall be submitted to the Commission.
- (3) The Commission shall consider the suggestions and objections, if any, received from the respondents and the public. The Commission shall issue an order determining the fees and charges after hearing the petitioner, the users and any other person permitted by the Commission.
- (4) During the pendency of the petition, the RLDCs shall continue to bill the users on the basis of fees and charges approved by the Commission during the previous control period and applicable as on 31.3.2024, for the period starting from 1.4.2024 till approval of the Fees and Charges by the Commission, in accordance with these Regulations.
- (5) After the expiry of the control period, the RLDCs shall continue to bill the users provisionally on the basis of fees and charges approved by the Commission and applicable as on 31.3.2029 for the period starting from 1.4.2029 till the determination of fees and charges under the applicable regulations.
- (6) The Fees and Charges shall be determined separately for each of the Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre (including the Corporate Centre) by the Commission:

Provided that the annual LDC charges of NLDC including Corporate Centre expenses for the respective financial year shall be apportioned among Regional Load Despatch Centres on the basis of the GNA of the drawee DICs located in the respective region as on 31st March for the preceding financial year.

11. Prudence Check of Capital Expenditure

- (1) The principles adopted for prudence check of capital expenditure shall be the reasonableness of capital cost, financing plan, interest during construction, use of efficient technology, upgradability/ scalability of the technology and systems to accommodate the growing requirement of system operation, cost overrun and time overrun, procurement of equipment and materials through competitive bidding and such other matters as may be considered appropriate by the Commission for determination of fees and charges:

Provided that, while carrying out the prudence check, the Commission shall also examine whether the RLDCs or NLDC, as the case may be, have been prudent in their judgments and decisions in the execution of the project.

12. Truing up of Annual Charges

- (1) NLDC shall file a petition on behalf of RLDCs and NLDC (including Corporate Centre) in the formats annexed as Appendix-I to these regulations by 30.11.2029 for carrying out truing up exercise after the end of the control period.
- (2) Along with the petition for truing up, details of capital expenditures, including additional capital expenditure, sources of financing, operation and maintenance expenditure, and any other expenditure incurred for the period from 1.4.2024 to 31.3.2029, duly audited and certified by the auditor, shall be furnished.
- (3) The Commission shall carry out truing up exercise along with the application for determination of fees and charges for the next control period, based on the capital expenditure, operation, and maintenance expenditure, and any other expenditure incurred up to 31.3.2029 and as admitted by the Commission after prudence checks at the time of truing up:

Provided that RLDCs and NLDC shall carry out annual reconciliation (as provisional truing up subject to truing up by the Commission at the end of the control period) of their expenditure based on actual capital expenditure, operation and maintenance expenditure, and any other expenditure, up to 31st March of each financial year of the control period and refund the additional recovery of fees and charges to the users on or before 30th November of the following year:

Provided further that the RLDCs and NLDC shall carry out a mid-term review of their expenses once within the control period if the same is considered necessary in view of the emergent situation such as pay revision, significant deviation with respect to approved expenditure, or any other unforeseen requirement, and NLDC may file mid-term True-up Petition on behalf of RLDCs and NLDC, before the Commission, not before two years from the date of commencement of these Regulations.

- (4) The amount under-recovered or over-recovered by the Regional Load Despatch Centres, including the charges for the National Load Despatch Centre, shall be recovered from or refunded to the users, as the case may be, along with simple interest at the rate equal to the Bank Rate as on 1st April of the respective year, in six equal monthly instalments:

EXPLANATION:- Such interest shall be payable till the date of issuance of the Order by the Commission and no interest shall be allowed or levied during the period of payment of six-monthly instalments.

CHAPTER-4

COMPUTATION OF CAPITAL COST AND ADDITIONAL CAPITALISATION

13. Computation of Capital Cost

- (1) The capital cost, as admitted by the Commission after prudence check, for each of the Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre shall form the basis for determination of annual LDC charges of the RLDCs.
- (2) The capital cost shall be computed by considering the following:
- i) The Capital cost as admitted by the Commission as on 31.03.2024 duly tried up by excluding liability, if any;
 - ii) Expenditure on account of additional capitalization determined in accordance with Regulation 14 (1);
 - iii) Funding for the development of analytics tools and pilot projects that are of a capital nature;
 - iv) The fixed assets decapitalized in accordance with Regulation 14 (2);

- v) Interest during construction and incidental expenditure during construction as approved by the Commission;
 - vi) Any grant received from the Central or State Government or any statutory body or authority for the execution of the project that does not carry any liability of repayment shall be excluded from the Capital Cost for the purpose of computation of interest on the loan, return on equity and depreciation;
- (3) The Capital cost shall be admitted after a prudence check, which may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan, Interest During Construction (IDC), Incidental Expenditure During Construction (IEDC), financing charges, any gain or loss on account of Foreign Exchange Rate Variation (FERV), cost over-run and time over-run and such other matters as may be considered appropriate by the Commission:
- (4) Interest during construction (IDC) shall be computed considering the actual loan and/or normative loan after taking into account the prudent phasing of funds up to completion of the project:

Provided that IDC on normative loan corresponding to excess equity over 30% of funds deployed shall be allowed only in case the actual infusion of equity on a quarterly basis is more than 30% of total funds deployed on a pari-passu basis.

Provided further that in case IDC on normative loan is to be allowed prior to the infusion of actual loan, rate of interest for computing such IDC shall be equal to 1-year SBI MCLR as prevailing on 1st April of the respective year.

Provided also that IDC on normative loan, post-infusion of actual loan shall be computed based on Weighted Average Rate of Interest (WAROI) for that respective quarter.

- (5) Incidental expenditure during construction (IEDC) shall be computed from the zero date, considering the pre-operative expenses up to the completion of the project. Any revenue earned during the construction period up to completion, on account of interest on deposits or advances or any other receipts, shall be taken into account for a reduction in the incidental expenditure during construction.

- (6) If the delay in achieving the completion of the project is not attributable to the RLDC or the NLDC, as the case may be, IDC and IEDC, for the delayed period, may be allowed after prudence check, and the liquidated damages, if any, recovered from the contractor or supplier or agency shall be adjusted in the capital cost of the RLDC or the NLDC, as the case may be.
- (7) RLDCs and NLDC shall submit Auditor Certificate for the capital expenditure incurred as on 31.03.2024 and a Management Certificate duly signed by an authorised person, not below the level of Director of the company, for the projected capital expenditure for respective years of the control period 2024-29:

14. Additional Capitalization and De-Capitalization

- (1) The capital expenditure incurred or projected to be incurred for the assets already in service and the additional assets projected to be procured during the tariff period may be admitted, by the Commission, subject to prudence check.
- (2) In case of de-capitalization of assets, the original cost of such asset as on the date of decapitalisation shall be deducted from the value of the gross fixed asset and corresponding loan, as well as equity shall be deducted from the outstanding loan, and the equity respectively in the year such de-capitalisation takes place with corresponding adjustments in cumulative depreciation and cumulative repayment of the loan, duly taking into consideration the year in which it was capitalised.

Provided that in cases where an asset forming part of a scheme is de-capitalised and wherein the historical value of such asset is not available, the value of de-capitalisation shall be computed by de-escalating the value of the new asset by 5% per year until the year of capitalisation of the old asset subject to a minimum of 10% of the replacement cost of the asset.

15. Debt-Equity Ratio

- (1) The actual debt-equity ratio as admitted by the Commission for the period ending 31.3.2024 shall be considered for the opening capital cost of the Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre for the control period 2024-29.

- (2) The capital expenditures incurred prior to 1.4.2024, where the debt-equity ratio has not been determined by the Commission for the determination of annual charges of RLDC for the period ending 31.3.2024, the Commission shall determine the debt-equity ratio in accordance with Regulation 16(3) of the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges for Regional Load Despatch Centres and other related matters) Regulations 2019.
- (3) For the capital expenditure incurred or projected to be incurred on or after 1.4.2024, the debt-equity ratio shall be considered as 70:30. If the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan:

Provided that:

- i Where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost; actual equity shall be considered for determination of Return on Equity;
- ii the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment;
- iii Any grant obtained for the execution of the project shall not be considered as a part of the capital structure for the purpose of debt–equity ratio.

Explanation: The premium, if any, raised by Grid-India while issuing share capital and investing internal resources created out of its free reserve for the funding of the project shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, only if such premium amount and internal resources are actually utilized for meeting the capital expenditure of the NLDC and RLDCs.

CHAPTER-5

FEES AND CHARGES STRUCTURE

16. Components of RLDC Fees and Charges:

- (1) The RLDC Fees and Charges shall comprise of Load Despatch Centre (LDC) Fees to be recovered by RLDCs or NLDC, as the case may be, towards registration for commencement of grid access or for other services; and Annual LDC Charges (ALC) from the users towards scheduling of power.

17. Annual LDC Charges (ALC):

- (1) ALC shall comprise annual RLDC charges and apportioned annual NLDC charges (including Corporate Centre expenses). ALC shall be recovered on a monthly basis.

- (2) The Annual RLDC charges shall correspond to the expenditure proposed to be incurred by the RLDCs and approved by the Commission. Annual RLDC charges shall consist of the following components, namely:
- (a) Return on equity;
 - (b) Interest on loan capital;
 - (c) Depreciation;
 - (d) Operation and maintenance expenses
 - (e) Human Resource expenses
 - (f) Interest on working capital;
- (3) **NLDC Charges (including Corporate Centre Expenses)**
- (a) To the extent applicable, NLDC charges shall be computed by following the methodology specified under Regulation 17(2) of these regulations, except for interest on working capital.
 - (b) The expenditures towards running the Corporate Centre, including the FOLD Secretariat, Computer Emergency Response Team – Grid Operation (CERT-GO) functions, shall be allowed by the Commission after prudence check.
 - (c) All expenses of NLDC and Corporate Centre as approved by the Commission shall be apportioned to the Regional Load Despatch Centres for the control period 2024-29 on the basis of the GNA of the drawee DICs located in the respective regions as on 31st March for the preceding financial year.

CHAPTER-6

COMPUTATION OF ANNUAL LDC CHARGES (ALC)

18. Return on Equity

- (1) Return on equity shall be computed in Rupee terms on the equity base determined in accordance with Regulation 15 of these regulations.
- (2) Return on equity shall be computed on a pre-tax base rate of 15.50% and shall be grossed up as per clause (3) of this Regulation.

- (3) The rate of return on equity shall be computed by grossing up the base rate with the effective tax rate of the respective financial year by using the following formula and shall be rounded off to three decimal points:

$$\text{Rate of pre-tax return on equity} = \text{Base rate} / (1-t)$$

Where 't' is the effective tax rate.

- (4) Return on equity with respect to the effective tax rate applicable to Grid-India in line with the relevant provisions of the Finance Acts of the respective years during the control period shall be trued up at the end of the control period.

19. Interest on Loan Capital

- (1) The loan determined in accordance with Regulation 15 shall be considered a gross normative loan for the calculation of interest on the loan.
- (2) The normative loan outstanding as on 01.04.2024 shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to 31.03.2024 from the gross normative loan.
- (3) The repayment for each of the years of the control period 2024-29 shall be deemed to be equal to the depreciation allowed for that year. In case of de-capitalization of assets, the repayment shall be adjusted by taking into account cumulative repayment on a pro-rata basis, and the adjustment should not exceed cumulative depreciation recovered up to the date of de-capitalization of such asset.
- (4) The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio or allocated loan portfolio, applicable to the respective Regional Load Despatch Centre:

Provided that if there is no actual loan for a particular year but the normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be considered;

Provided further that if any of the Regional Load Despatch Centres do not have an actual loan, then the weighted average rate of interest on the loan of Grid-India as a whole shall be considered:

Provided further that if Grid-India does not have any actual loan, then the rate of interest for a loan shall be considered as 1-year MCLR of the State Bank of India as applicable as on 1st April of the relevant financial year.

- (5) The interest on the loan shall be calculated on the normative average loan of the year by applying the weighted average rate of interest as arrived at in accordance with Clause (4) of this Regulation.
- (6) The Grid-India shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest. If re-financing or restructuring of a loan results in net savings on interest after accounting for cost associated with such refinancing or restructuring, the same shall be shared between the users and Grid-India in a ratio of 50:50. The changes to the terms and conditions of the loans shall be reflected from the date of such re-financing:

Provided that the users shall not withhold any payment on account of the interest claimed by Grid-India during the pendency of any dispute arising out of the re-financing of the loan.

20. Depreciation

- (1) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the assets admitted by the Commission.
- (2) The salvage value of the asset (excluding IT equipment and Software) shall be considered 10% and depreciation shall be allowed up to a maximum of 90% of the capital cost of the asset. The salvage value for IT equipment and software shall be considered NIL, and 100% of the value of the assets shall be considered depreciable.
- (3) Freehold land shall not be a depreciable asset, and its cost shall be excluded from the capital cost when computing the depreciable value of the capital cost of the asset.
- (4) Lease hold land shall be amortized over the lease period.
- (5) Depreciation shall be calculated annually based on the Straight-Line Method and at rates specified in Appendix-II to these regulations for the assets of the Regional Load Despatch Centre.
- (6) Assets fully depreciated shall be shown separately.
- (7) The value of the assets not in use or declared obsolete shall be taken out from the capital cost for the purpose of calculation of depreciation.
- (8) The balance depreciable value as on 1.4.2024 shall be worked out by deducting the cumulative depreciation from the gross depreciable value of the assets appearing in the

books of accounts of the Grid-India for the respective Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch Centre.

- (9) In case of de-capitalization of assets in respect of the concerned RLDC, the cumulative depreciation shall be adjusted after considering the depreciation recovered in tariff by the de-capitalized asset during its useful life.

21. Operation and Maintenance Expenses

- (1) Operation and maintenance (O&M) allowed for the year 2023-2024 shall be escalated by 5.25% every year to arrive at permissible operation and maintenance expenses for each year of the control period 2024-2029.
- (2) The following shall form part of O&M expenses:
- (i) Expenditure incurred for operation and maintenance of the assets of RLDCs and NLDC;
 - (ii) Outsourced services, including consultancy services for learning and implementation of new technologies and market products;
 - (iii) Expenses incurred for new hardware or software of a revenue nature;
 - (iv) Expenses towards consumables, insurance and overheads, maintenance, housekeeping, logistic support, municipal taxes;
 - (v) Expenses towards research activities for the development of technologies for Grid stabilisation;
- (3) After the approval of O&M expenses for the control period, NLDC may file a separate petition during the control period for approval of additional O&M expenses of NLDC or RLDCs, which exceed more than the 20% of the O&M expenses allowed for a year and the same shall be considered after prudence check.

22. Human Resource Expenses

- (1) Human Resource Expenses allowed for the year 2023-2024 shall be escalated by 5.25% every year to arrive at permissible Human Resource expenses for each year of the control period 2024-2029.
- (2) Any significant Human Resource Expenses envisaged during the control period 2024-29, due to additional manpower, wage revision, shall be allowed separately after prudence check.

- (3) Human Resource expenses shall include expenditures on manpower, funding for participation in national or international conferences and publication of technical papers therein, facilitating higher education, and availing institutional membership with national bodies and international bodies.
- (4) Performance-related pay computed in accordance with DPE and other applicable guidelines shall be met from the incentive allowed in accordance with Regulation 28 of these Regulations.
- (5) Human Resource Development (HRD) expenses, incurred by the NLDC or RLDCS shall be part of the Human Resource expenses. In addition to the capacity building of the employees of NLDC or RLDCs, capacity building workshops and training programs organized for other stakeholders shall also form part of the HRD expenses.
- (6) The strength of manpower required for the effective functioning of LDC shall be approved by the Commission based on a separate application to be filed by NLDC for manpower requirement of Grid-India along with Appendix-V. The proposal shall be accompanied by the Board approval for the proposed manpower plan.

23. Interest on Working Capital

- (1) The working capital for each RLDC shall cover:
 - (i) Operation and maintenance expenses for one month for the concerned RLDC and apportioned Operation and maintenance expenses for one month for the NLDC;
 - (ii) Human resource expenses for one month for the concerned RLDC and apportioned Human resource expenses for one month for the NLDC;
 - (iii) Receivables equivalent to 45 days of annual charges as approved by the Commission.
- (2) The rate of interest on working capital shall be on a normative basis and shall be the **Reference Rate of Interest** as on 1.4.2024 as per the Tariff Regulations [2024](#):
Provided that the rate of interest on working capital shall be trued up at the end of the control period, considering the Reference Rate of Interest as on 1st April of each of the financial year during the control period 2024-29.
- (3) Interest on working capital shall be payable on a normative basis, notwithstanding that Grid-India has not taken any loan for working capital from any outside agency.

CHAPTER-7 LDC DEVELOPMENT FUND

24. LDC Development Fund

- (1) The Grid-India shall maintain a separate fund called 'Load Despatch Centre Development Fund (LDCD Fund)' for the purposes specified in this Regulation.
- (2) The charges on account of return on equity, interest on loan, depreciation, registration fees, Charges for scheduling under T-GNA, and interest earned on LDCD Fund shall be deposited into the LDCD Fund after meeting the statutory tax and Corporate Social Responsibility (CSR) requirements:
- (3) The RLDC and NLDC shall be entitled to utilize the money deposited in the LDCD Fund for the creation of new assets, loan repayment, servicing of the interest and dividend payment restricted to 15.50% of paid up Capital, meeting equity portion for new assets, margin money for raising loan from the financial institutions, payment towards purchase consideration for acquisition ventures subject to the approval of the Commission.
- (4) Any shortfall in meeting the revenue expenditures, including O&M Expenses, shall be met from the LDCD Fund. For this purpose, the Load Despatch Centre shall be entitled to take interest free advance from LDCD Fund, which shall be recouped from the expenditure allowed by the Commission under the respective heads at the time of truing up to be carried out after the expiry of the control period 2024-29.
- (5) An asset funded, partly or fully, from the amount taken out from the LDCD fund shall be considered for computation of depreciation as per the rates specified in these regulations.
- (6) Amount taken out from the LDCD fund for funding an asset shall be treated as a normative loan and shall carry the normative rate of interest as a 1-year MCLR of the State Bank of India, as applicable, as on 1st April of the relevant financial year, which shall be deposited back to the LDCD fund.
- (7) RLDCs or NLDC may utilize the funds from the LDCD Fund to meet the shortfall, if any, in the annual charges allowed by the Commission or to meet the contingency expenses that were not foreseen at the time of making the application for charges and are considered necessary for the efficient power system operation.
- (8) The expenses under Regulation 29(2) of these regulations shall be paid from the LDCD fund.

- (9) Grid-India shall submit the amount accumulated in the LDCD Fund along with the breakup of sources from where the funds have been received. The Grid-India shall submit to the Commission at the end of every year, a report, along with an auditor's certificate, on utilization of the LDCD Fund during the previous year. The report shall, inter alia, contain the details of the quantum of fund utilized as well as un-utilized portions of the LDCD Fund. The Commission may, if necessary, issue directives to the RLDCs and NLDC for effective utilization of the LDCD Fund.

CHAPTER-8

COMPUTATION AND RECOVERY OF FEES AND CHARGES

25. Registration Fees: The fees shall be payable by the users, including power exchanges and electricity traders, before the commencement of grid access and scheduling. The fees payable are as under:

- (1) The distribution licensees and inter State transmission licensees shall pay non-refundable one-time registration fees of Rs.10 Lakh along with the application for commencement of grid access:
- (2) The regional entity generating station, captive generating plant, and Standalone storage system shall pay registration fees as under:
- a) For installed capacity up to 10 MW: Rs .0.75 Lakh;
 - b) For installed capacity of more than 10 MW and up to 100 MW: Rs. 1.5 Lakh;
 - c) For installed capacity of more than 100 MW and up to 500 MW: Rs. 7.5 Lakh;
 - d) For installed capacity of more than 500 MW and up to 1000 MW: Rs. 10 Lakh;
 - e) For installed capacity of more than 1000 MW: Rs.15.0 Lakh:

Provided that the entire capacity of the generating station or stage thereof whose scheduling, metering, and energy accounting is done separately shall be considered for the purpose of registration fees at the time of the initial registration:

Provided further that the generating companies shall intimate RLDCs concerned about the additional capacity commissioned by the generating station or a stage thereof:

Provided further that a regional entity Renewable Hybrid Generating Station shall get registered for total AC Installed Capacity.

- (3) The bulk consumer shall pay registration fees as under:
 - a) For GNA less than or equal to 100 MW: Rs 5 Lakh;
 - b) For GNA more than 100 MW and less than or equal to 500 MW: Rs 10 Lakh;
 - c) For GNA more than 500 MW: Rs 15 Lakh.
- (4) The inter-State trading licensees, Renewable Power Park Developer, QCA, SNA, sellers, and buyers shall pay one-time registration fees of Rs.15,000 (Rupees Fifteen Thousand only) along with the application for commencement of scheduling for market operation.
- (5) The Power exchanges shall pay NLDC Rs.30.0 Lakh (Rupees Thirty Lakh only) as one-time registration fees.
- (6) All other users, as defined in Regulation 8 of these regulations, shall be liable to pay one-time registration fees of Rs. 15,000 (Rupees Fifteen Thousand only) along with the application (Appendix-III) for commencement of grid access.

26. Monthly LDC Charges

- (1) The monthly LDC charges for each RLDC shall be $1/12^{\text{th}}$ of the (Approved Annual LDC Charges under Regulation 17 of these regulations plus the Performance Linked Incentive). The monthly LDC charges shall be recovered in the proportion of $1/3^{\text{rd}}$ each from the three categories defined as sub-clauses (a), (b), (c) as under:
 - (a) The LDC Charges for inter-State transmission licensees shall be worked out on the basis of the circuit kilometres (ckt-km) of the lines and MVA capacity of substation owned by inter-State transmission licensees;
 - (b) The LDC Charges for the regional entity generating station, regional entity captive generating plant, and regional entity standalone storage system shall be worked out on the basis of installed capacity and for sellers and SNA (for the purpose of injection into the Indian grid) shall be worked out on the basis of GNA;
 - (c) The LDC Charges for the distribution licensees, regional entity bulk consumers, SNA (for the purpose of a drawl from the Indian grid), and buyers shall be worked out on the basis of GNA to such entities.

- (2) Performance Linked Incentive for the purpose of calculating monthly LDC charges for each RLDC, for the purpose of provisional recovery of PLI, shall be considered as 90% of the last approved Performance Linked Incentive for respective RLDC and shall include apportioned 90% of the last approved Performance Linked Incentive for NLDC (including corporate centre) and shall be referred to as PPLI. Such provisional recovery of PLI shall be subject to annual reconciliation in terms of Regulation 28 of these regulations.

27. Computation and Payment of LDC Charges:

- (1) The rates of LDC charges for inter-State transmission licensees shall be computed on an annual basis and recovered on a monthly basis in accordance with the following formula;

(i) Monthly LDC Charge rate (for inter-State transmission licensee) =

(A) For the transmission line =

$$(1/6) [ALC + PPLI / (Ckt_Km)] / 12 \text{ in Rs./Kilometer}$$

Where,

ALC = Approved Annual LDC Charges in accordance with Chapters 5 and 6;

Ckt_Km = Length of aggregate inter-State transmission lines as on the last day of the month prior to the month of billing (rounded off to the nearest two decimals);

(B) For the substation =

$$(1/6) [ALC + PPLI / (Transformation Capacity)] / 12 \text{ in Rs./MVA}$$

Where,

ALC = Approved Annual LDC Charges in accordance with Chapters 5 and 6;

MVA = Quantum of aggregate ISTS Transformation Capacity as on the last day of the month prior to the month of billing (rounded off to the nearest two decimals);

- (2) Monthly LDC charges payable by individual transmission licensees shall be the sum of (i) the rate determined for LDC charge for the transmission lines multiplied by the length (in Ckt Km) of transmission lines; and (ii) the rate determined for LDC charges for substation multiplied by Transformation Capacity (in MVA) of the substation(s), owned and operated by the respective transmission licensee(s).

- (3) For inter-regional transmission lines, the total circuit kilometres shall be divided on a 50:50 basis for monthly billing.
- (4) The rates of LDC charges for generating stations, captive generating plants, standalone storage systems, sellers, and SNA shall be computed on an annual basis and recovered on a monthly basis in accordance with the following formula:

$$\text{Monthly LDC Charge rate (for entities injecting into ISTS) =} \\ (1/3) (ALC+PPLI/ (\text{Capacity})) / 12 \text{ in Rs. / MW}$$

Where,

ALC = Approved Annual LDC Charges in accordance with Chapters 5 and 6;

Capacity=Aggregate Installed capacity (in MW) of generating stations, captive generating plants, and Standalone storage systems; GNA quantum (in MW) of the sellers (rounded off to the nearest two decimals), SNA (for the purpose of injection into Indian Grid), whose scheduling is covered under the concerned RLDC as on last day of the month prior to the month of billing;

- (5) The monthly LDC charges payable by a generating station, captive generating plant or standalone storage system or sellers, or SNA shall be computed on the basis of rates determined above multiplied by the respective installed capacity (MW) or the GNA quantum (MW) of the generating station or seller or SNA respectively.
- (6) The rates of LDC charges for distribution licensees, Bulk Consumers, SNA, and buyers shall be computed on an annual basis and recovered monthly after taking into account the GNA quantum in accordance with the following formula:

$$\text{Monthly LDC Charge rate (for drawl from ISTS) =} \\ (1/3) (ALC+PPLI/ (\text{Capacity}))/12 \text{ in Rs./ MW}$$

Where,

ALC = Approved Annual LDC Charges in accordance with Chapters 5 and 6;

Capacity = GNA granted to distribution licensees, Bulk Consumers, SNA (for the purpose of a drawl from Indian Grid), and buyers (rounded off to the nearest two decimals) whose scheduling are covered under the concerned RLDC as on the last day of the month prior to the month of billing;

- (7) Monthly LDC charges payable by distribution licensees, Bulk Consumers, SNA, and buyers shall be collected in proportion to the sum of their GNA as on the last day of the month prior to billing of the month.
- (8) The distribution licensee shall be eligible to draw power or inject power within its GNA quantum as per the CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023. The distribution licensee shall pay Monthly LDC charges corresponding to GNA under sub-clause (6) and (7) of this Regulation and shall not pay any separate monthly LDC charges for injection of power within its GNA quantum.
- (9) Each RLDC shall publish INR per MW or INR per ckt-km or INR per MVA rate every month on the last working day of the previous month for bills to be raised for the next month.
- (10) The intra-State entities, including distribution licensees of the State, shall have the option of making payment of ALC charges to the respective RLDC through the respective State Load Despatch Centre (SLDC) as the nodal agency for collection of monthly LDC charges payable to the concerned Regional Load Despatch Centre (RLDC). After collecting the monthly LDC charges, the concerned SLDC shall deposit the same into the account of the concerned RLDC. The RLDC users in the state may make direct payment of ALC into the account of the concerned RLDC.
- (11) For facilitating direct billing and collection from individual distribution Licensee or buyers or sellers in a State, the GNA quantum granted to STU/State for the previous month segregated for each intra-State entity shall be shared by CTUIL with respective RLDC by the 10th day of every month for the quantum as on last day of the previous month. The same quantum shall be considered for billing monthly LDC charges for the respective RLDC.
- (12) In case of regional entity user with nil GNA quantum, ALC charges corresponding to 50MW shall be billed.

CHAPTER-9

PERFORMANCE LINKED INCENTIVE

28. Performance Linked Incentive to RLDCs and NLDC

- (1) Recovery of incentive by the RLDCs and NLDC shall be based on the performance against the Key Performance Indicators (KPIs) as specified in **Appendix-IV** or such other parameters as may be prescribed by the Commission.

- (2) The Methodology for the calculation of specific metrics for the key performance indicators specified in Appendix-IV and subsequent determination of Team Rating (Rating of Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor) shall be detailed in a Procedure to be prepared by Grid-India and submitted to the Commission for approval within 3 months of the issue of these Regulations.
- (3) The NLDC shall file a single application on behalf of NLDC (including Corporate Centre) and all RLDCs in the formats annexed as **Appendix-IV** to these Regulations to claim Performance linked Incentive with details of actual performance against each of the key performance indicators to the Commission on an annual basis for the previous year ending on 31st March.
- (4) The Commission shall evaluate the overall performance of the RLDCs or NLDC, as the case may be, on the basis of annual key performance indicators and their weightages as specified in **Appendix-IV**.
- (5) The key performance indicators and their weightages specified in Appendix-IV shall be applicable for the period 2024-2025. For the year 2025-26 onwards, NLDC shall submit revised key performance indicators and their weightages, as required, with the revised procedure by the end of December in each year starting from December 2024, for the proposed KPIs for the next financial year, which shall be reviewed and approved by the Commission. Unless revised by the Commission, key performance indicators and their weightages approved for the last Financial Year shall be applicable for the next Financial year till 2028-2029.
- (6) Each RLDC and NLDC shall be allowed to recover an incentive of 12% of its Annual LDC Charges for a performance level of 90% against the KPIs. The performance of the previous year ending on 31st March shall be considered for calculation and recovery of incentive in the year.

Provided that the incentive shall increase by 1% of Annual LDC Charges for every 5% increase of performance above 90% on a pro-rata basis.

Provided further that incentive shall be reduced by 1% on a pro-rata basis for every 3% decrease in performance level below 90%.
- (7) The incentive payable to individual employees of all RLDCs and NLDC (including Corporate Centre) shall be in accordance with Performance Related Pay (PRP) as per DPE Office Memorandum No. W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/ 17 dated 3.8.2017:

Provided that “Team’s Performance Component” under Annexure-IV of DPE Office Memorandum No. W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/ 17 dated 3.8.2017 for each RLDC or NLDC shall be based on the Performance approved by the Commission for each RLDC or NLDC in accordance with methodology approved under Clause (2) of this Regulation:

Provided further that the Performance Related Pay payable to employees, shall be calculated considering the ‘Team Rating’ as ‘Very Good’ till the Performance for the respective year is approved by the Commission:

Provided also that such provisional calculation of PRP payable to employees shall be subject to payment or recovery, as per the approved performance for the year, for each RLDC or NLDC for the year. Payment or recovery with respect to employees, if any, due to such adjustment shall be made without interest.

- (8) Performance Related Pay computed in accordance with DPE Guidelines shall be met from the incentive allowed in accordance with this Regulation.
- (9) On approval of Performance Linked Incentive for the respective year by the Commission, RLDC shall carry out annual reconciliation based on PRP disbursed to the employees on a provisional basis (in terms of Clause 6 of this Regulation), PRP payable based on the Performance approved for the year and PPLI recovered from users (in terms of Clause (2) of Regulation 26 of these regulations). Additional recovery from or refund to the users, if any, shall be carried out within one month from the approval of the PLI by the Commission for the respective year. The details of such annual reconciliation shall be filed by NLDC along with a true up Petition detailing the reconciliation carried out by each RLDC and NLDC. Truing up required, if any, for the control period on this account shall be made along with truing up charges for RLDC and NLDC for the control period.

29. Incentive to the employees of RLDCs and NLDC for acquiring the Certification

- (1) The employees of RLDCs and NLDC who acquire the certificate of basic level, specialist level, and management level in their respective areas of specialization shall be allowed incentive for acquiring the certification as well as on renewing the same every three years at the following rates:

SI. No.	Certification Level	Amount (in Rupees)
1	Basic	20000
2	Specialist	30000
3	Management	40000

Provided that a person acquiring more than one certification shall be eligible for an incentive for the higher certification at the time of renewal.

- (2) Funding for (i) payment of registration and/or application fees for appearing in basic, specialist, and management level examinations, (ii) payment towards training expenses for these examinations, and (iii) payment of incentive for acquiring the certification, shall be made from the LDCD Fund.

CHAPTER-10

BILLING AND OTHER MISCELLANEOUS PROVISIONS

30. Billing and Payment of charges

- (1) Bills shall be raised for the LDC charges on a monthly basis by the RLDCs in accordance with these regulations, and payments shall be made by the users directly to the respective RLDCs through payment gateway.
- (2) All costs/expenses/charges associated with making payment of LDC Charges shall be borne by the users.
- (3) Persistent default in payment of LDC charges by any user shall be brought to the notice of the Commission.
- (4) The charges payable by the user shall be first adjusted towards a late payment surcharge on the outstanding charges and, thereafter, towards monthly charges billed by RLDCs starting from the longest overdue bill.

31. Late payment surcharge:

- (1) In case the payment of any bill for charges payable under these regulations is delayed by a user beyond a period of 45 days from the date of billing, a late payment surcharge at the base rate, in line with Regulation 3(6) of these regulations, per month shall be levied from the users. The rate of late payment surcharge for the successive months of default shall increase by 0.5 per cent for every month of delay, provided that the late payment surcharge shall not be more than three per cent higher than the base rate at any time.

32. Operationalizing the Payment Security Mechanism (PSM) and its consequences:

- (1) Users shall make regular payment of RLDC charges. In case of default in making payment of RLDC charges, the concerned RLDC may direct the user to maintain an unconditional, irrevocable, and adequate PSM in the form of a Letter of Credit.
- (2) PSM shall be equivalent to 110% of last year's maximum monthly LDC Charges.
- (3) In case of non-maintenance of PSM, RLDC may regulate open access to users as per Regulation 33 of these regulations.

33. Regulation of access to defaulting entities:

- (1) In case of non-payment of dues by the users or in case of non-maintenance of payment security mechanism after the default trigger date, the scheduling of electricity for the defaulting entity shall be regulated as follows:
 - (a) T-GNA, including already approved T-GNA, for the sale and purchase of electricity through short term contracts, including in the power exchange, shall be regulated entirely:

Provided further that the NLDC may, under exceptional circumstances for grid security, temporarily review the regulation of T-GNA and record the reasons for doing so in writing.
 - (b) If, even one month after the regulation of the T-GNA, the dues remain unpaid, apart from the regulation of the short term contracts under T-GNA in its entirety, the short term contracts under GNA shall be regulated entirely.
 - (c) The reduction or withdrawal of access for sale and purchase of electricity through contracts other than short-term contracts shall be in such a manner that the quantum of reduction in drawl or injection schedule increases progressively by ten per cent (10%) for each month of default.
- (2) In case of default by the transmission licensee, on intimation by RLDC, after the default trigger date, CTU shall transfer the due amount for RLDC from the amount recovered from drawee DICs towards yearly transmission charges for such defaulting ISTS transmission licensee within 7 days from the date of issuance of such intimation by RLDC.
- (3) Upon payment of outstanding dues or maintaining adequate Payment Security Mechanism, as the case may be, the regulation of access shall cease to operate, and

access shall be restored at the earliest, but not later than one day, excluding the day on which payment is made.

34. Recovery of the cost of hedging or Foreign Exchange Rate Variation

- (1) Recovery of the cost of hedging or foreign exchange rate variation shall be made directly by the RLDCs from the users without making any application before the Commission:

Provided that in case of any objection by the users regarding the cost of hedging or foreign exchange rate variation, the RLDCs may file an appropriate petition before the Commission for a decision.

35. Rebate

- (1) For payment of bills of the RLDC through letter of credit on presentation or through National Electronic Fund Transfer (NEFT) or Real Time Gross Settlement (RTGS) payment mode within a period of 5 days of presentation of bills by the RLDC, a rebate of 1.50% shall be allowed.

Explanation: In case of computation of '5 days', the number of days shall be counted consecutively without considering any holiday. However, in case the last day or day is an official holiday, the 5th day for the purpose of Rebate shall be construed as the immediate succeeding working day (as per the official State Government's calendar or RBI declared a holiday, where the Office of the Authorised Signatory or Representative of the Beneficiary, for the purpose of receipt or acknowledgement of Bill is situated).

- (2) Where payments are made on any day after 5 days and within a period of 30 days of presentation of bills by the RLDC, a rebate of 1% shall be allowed.
- (3) No rebate shall be allowed for payments made from T+31 days to T+45 days from the date of issuance of the bill.

36. Settlement of Fees and Charges dues for users under long outage: In case of complete isolation from the grid due to natural calamities for a long duration, the user may request the concerned RLDC for de-registration on a temporary basis. The user will have to apply for reregistration as per Regulation 5(1) of these regulations prior to the commencement of grid access.

- 37. Dispute Resolution:** In case of any dispute, if the parties fail to arrive at a mutual settlement in accordance with law, any of the parties may file a petition in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023, as amended from time to time, including statutory re-enactment thereof, for adjudication of the dispute.
- 38. Power to Relax:** The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by NLDC or any of the RLDCs or any User after giving reasonable opportunity to those likely to be affected by such relaxation.
- 39. Removal of Difficulty:** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by order, make such provision not inconsistent with the provisions of the Act or provisions of any other regulations specified by the Commission, as may appear to be necessary for removing the difficulty in giving effect to the objectives of these regulations. The Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of these regulations and matters incidental or ancillary thereto as the Commission may consider appropriate.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./357/2024-25]

APPENDIX**TARIFF FILING FORMS (NLDC/RLDCs)****Appendix-I****INDEX****Checklist of Forms and other information/ documents for tariff filing for
NLDC/RLDCs**

Form No.	Tariff Filing Formats (RLDCs)	Tick
FORM-1	Summary Sheet	
FORM-2	Calculations for Return on Equity	
FORM-3A	Financial Package	
FORM-3B	Statement of Capital Cost	
FORM-3C	Financing of Additional Capitalization	
FORM-4A	Calculation of Interest on Normative Loan	
FORM-4B	Calculation of Weighted Average Rate of Interest on Actual Loans	
FORM-4C	Details of Foreign Loans	
Form-4D	Details of allocation of Corporate loans to various RLDCs	
FORM-5A	Statement of Depreciation	
FORM-5B	Calculation of depreciation rate	
FORM-6A	Details of Operation and Maintenance Expense excluding Human Resource Expenses	
FORM-6B	Details of Human Resource Expenses	
FORM-6C	Details of Repairs and Maintenance Expenses	
FORM-6D	Details of Administrative and General expenses	
FORM-8	Interest on Working Capital	
FORM-9	Year wise statement of LDC Development Fund (projected)	
FORM-10	Other Income	

Other Information/ Documents		
Sl. No.	Information/Document	Tick
1	Audited Balance Sheet and Profit and Loss Accounts with all the Schedules and Annexure for RLDC /NLDC and Corporate office.	
2	Copies of relevant loan Agreements	
3	a)Copies of the approval of Competent Authority for the Capital Cost and Financial package. b)CAPEX plan along with Board approval, estimated capital cost and justification	
4	a)Copies of the Equity participation agreements and necessary approval for the foreign equity, if any. b)Equity contribution from LDC Development Fund along with Board Approval	
5	Any other relevant information, (Please specify)	

Note1.Electronic copy of the petition (in words format) and detailed calculation as per these formats (in excel format) and any other information submitted shall also be furnished in the electronic form.

FORM-1**Summary Sheet**

Name of the NLDC/RLDCs: _____

(Rs. In lakh)

S.N.	Particulars	Form No.	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Return on Equity#							
2	Interest on Loan Capital							
3	Depreciation							
4	O&M Expenses							
5	HR Expenses							
6	NLDC* charges and Corporate office expenses (for RLDCs)							
7	Interest on Working Capital (for RLDCs)							
	Total							

Details of calculations, considering equity as per regulation, to be furnished.

*NLDC charge and corporate office expense applicable for RLDCs

Petitioner

FORM-2

Calculations for return on equity

Name of NLDC / RLDCs :							
Year ending March							
Particulars	Unit	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7	8
Base rate of Return on Equity	%						
Tax Rate	%						

Detailed Calculation for Return on Equity

Particulars	Unit	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
GROSS EQUITY AS ON 1.4.2024 FOR RLDC ASSETS							
ADD CAP 2024-25 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
ADD CAP 2025-26 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
ADD CAP 2026-27 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
ADD CAP 2027-28 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
ADD CAP 2028-29 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
TOTAL EQUITY							
RATE OF RETURN ON EQUITY							
RETURN ON EQUITY							

NOTE: Income tax rate applicable for each financial year is based on the rates as per Income Tax Act, 1961

Petitioner

FORM-3A Financial Package

Name of the LDC: _____

Project Cost as on 1.4.2024: _____

Date of Commissioning/ Put to use: _____

(Rs in lakh)

	Financial Package as Approved		Financial Package as on date of Commissioning/ Put to use/1.4.2024		As Admitted on 1.4.2024	
	Currency	Amount	Currency	Amount	Currency	Amount
1	2	3	4	5	6	7
Loan-I						
Loan-II						
Loan-III						
and so on						
Equity-						
Foreign						
Domestic						
Total Equity						
Debt : Equity Ratio						

Petitioner

FORM-3B**Statement of Capital cost****Name of the NLDC/ RLDCs:**

(Rs in lakh)

		As on relevant date*
A	a) Opening Gross Block Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in A(a) above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV and Hedging cost included in A(a) above	
	d) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV and Hedging cost) included in A(a) above	
B	a) Addition in Gross Block Amount during the period	
	b) Amount of capital liabilities in B(a) above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV and Hedging cost included in B(a) above	
	d) Amount of IEDC included in B(a) above	
C	a) Closing Gross Block Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in C(a) above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV and Hedging cost included in C(a) above	
	d) Amount of IEDC included in C(a) above	

* Relevant date/s means date of Commissioning/ Put to use and financial year start date and end date

Petitioner

FORM-3C

Financing of Additional Capitalisation

Name of the NLDC/RLDCs :

(Rs. in lakh)

Financial Year (Starting from 1.4.2024)	Projected/Actual					Admitted				
	Year1*	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5 And so on	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5 And so on
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amount capitalized in Work/ Equipment										
Financing Details										
Loan from LDCD fund										
Loan-1										
Loan-2 and so on										
Total Loan										
Equity										
Internal Resources										
Others										
Total										

*Year 1 refers to Financial Year of Commissioning/ Put to use and Year 2, Year 3 etc. are the subsequent financial years respectively.

Petitioner

FORM-4A**(Rs in lakh)**

Calculation of interest on Normative Loan						
Name of LDC:						
Particulars	Existing 2023-24	2024-25	2025 -26	2026 -27	2027 -28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7
Gross Normative loan – Opening						
Cumulative repayment of Normative Loan upto previous year						
Net Normative loan-Opening						
Increase/Decrease due to ACE during the Year						
Repayments of Normative Loan during the year						
Net Normative loan-Closing						
Average Normative Loan						
Weighted average Rate of Interest on actual Loans						
Interest on Normative loan						

Petitioner

FORM-4B

Calculation of Weighted Average Rate of Interest on Actual Loans*

Name of LDC: _____

(Rs in lakh)

Sl. no.	Particulars	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7	8
	Loan-1						
	Gross loan – Opening						
	Cumulative repayments of Loans up to previous year						
	Net loan – Opening						
	Add: Drawal (s) during the Year						
	Less: Repayment(s) of Loans during the year						
	Net loan – Closing						
	Average Net Loan						
	Rate of Interest on Loan on annual basis						
	Interest on loan						
	Loan repayment effective from (date to be indicated)						
	Loan-2 ...						
	Loan-3 and so on						
	Total Loan						
	Gross loan – Opening						

	Cumulative repayments of Loans upto previous year						
	Net loan – Opening						
	Add: Drawal (s) during the Year						
	Less: Repayment (s) of Loans during the year						
	Net loan – Closing						
	Average Net Loan						
	Interest on loan						
	Weighted average Rate of Interest on Loans						

* In case of Foreign Loans, the calculations in Indian Rupees is to be furnished. However, the calculations in Original currency are also to be furnished separately in the same form.

Petitioner

1	At the date of hedging									
2	Period of hedging									
3	Cost of hedging									
	Currency² [1]									
A	At the date of									
1	Drawl									
2	Scheduled repayment date of principal									
3	Scheduled payment date of interest									
4	At the end of Financial year									
B	In case of Hedging [3]									
1	At the date of hedging									
2	Period of hedging									
3	Cost of hedging									

Petitioner

FORM-5A

Statement of Depreciation

Name of LDC:

(Rs. In lakh)

Financial Year	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7
Depreciation on Capital Cost						
Depreciation recovered during the Year						
Cumulative depreciation deducted due to de- capitalization or write off of the assets etc.						
Cumulative Depreciation and Advance against Depreciation recovered upto the year						

Petitioner

FORM-5B**Calculation of Depreciation Rate****Name of LDC:**

(Rs in lakh)

Sl. no.	Name of the Assets*	gross Block as on 31.03.2024, whichever is later and subsequently for each year thereafter up to 31.3.2029	Depreciation Rates as per CERC's Depreciation Rate Schedule	Depreciation Amount for each year up to 31.03.2029
	1	2	3	4= Col.2 X Col.3
1	Land (Freehold, Lease hold)			
2	Building and civil works			
3	Auxiliary power supply system			
4	Office furniture and furnishing			
5	Communication equipment			
6	SCADA hardware with test equipment and spares			
7	ICT equipment			
8	Software			
9	TOTAL			
	Weighted Average Rate of Depreciation (%)			

* Name of the Assets should conform to the description of the assets mentioned in Depreciation Schedule appended to the Notification.

Petitioner

FORM-6A**Details of Operation and Maintenance Expenses excluding Human Resource expenses****Name of LDC:**

(Rs. in lakh)

	ITEMS	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	1	2	3	4	5	6
1	Operational expenses					
2	Repairs and maintenance expenses					
3	Administrative and General expenses etc.					
4	Total					

NOTE:

1. Detail of these expenditure as per formats enclosed
2. To be furnished for the [...] LDC.

Petitioner

FORM-6B**Name of LDC:****Details of Human Resource Expenses**

Period-	1	ACTUALS FOR PREVIOUS FIVE YEARS
	2	ACTUALS FOR IST SIX MONTHS OF THE CURRENT YEAR
	3	EXPECTED FOR LAST SIX MONTHS OF THE CURRENT YEAR
	4	EXPECTED FOR ENSUING YEAR

Sr. No.	Account Code	Particulars	Executive		Non Executive		Total
1	Number of Employees						
2	Salaries						
3	Over-time						
4	Dearness Allowance						
5	Other Allowance						
6	Bonus						
7	Sub Total (1 to 6)						
	OTHER STAFF COST						
8	Reimbursement of Medical Expenses						
9	Leave Travel Concession						
10	Reimbursement of House Rent						

11	Interim Relief to Staff						
12	Encashment of Earned Leave						
13	Honorarium						
14	Payment under Workmen compensation Act						
15	Ex-gratia						
16	Expenditure on VRS						
17	Sub Total (8 to 16)						
18	Staff Welfare Expenses						
19	Terminal Benefits						
20	Provisions						
21	Others (Specify)						
22	Human Resource Development						
23	Total (7+17+18+19+20+21+22)						
24	Revenue recovered, if any						
25	Net Total (24-29)						
Additional Information							
1	No. of Employees as on :						
	i) Executives						
	ii) Non- Executives						
	iii) Skilled						

	iv) Non-Skilled						
	Total						
2	No. of Employees per						
	i) MW handled						
	ii) MKwh handled						

I)	An annual increase in HR expenses under a given head in excess of 20 percent should be explained with proper justification.
II)	The data should be based on audited balance sheets.
III)	Details of arrears, if any pertaining to prior period should be mentioned separately.
IV)	No. of employees opting for VRS during each year should be indicated.
V)	Details of abnormal expenses, if any shall be furnished separately.

Petitioner

FORM-6C

Details of Repairs and Maintenance Expenses

Name of LDC:

A. Repairs and Maintenance Expenses (Actuals)

(Rs in lakh)

Sr.No.	Description	Actuals for previous Financial Year	Current Financial Year			Estimates for ensuing year
			Actual For First Six Months	Projection For Balance Six Months	Total	
1	Consumption of stores and spares					
2	Loss of stores and spares					
3	Plant and Machinery repairs and maintenance					
4	Civil works repairs and maintenance					
5	Annual Maintenance Contract (4a+4b+4c)					
5a	-Plant and machineries					
5b	-Civil repairs and maintenance					
5c	-Others					
6	Others (Specify)					

7	Total (1+2+3+4+5+6)					
8	Revenue recoveries, if any					
9	Net Total (7-8)					

B. Repairs And Maintenance Expenses (As per Regulation)

(Rs in lakh)

Particulars	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Admitted Capital cost as on 1st April of the year					
Repairs and Maintenance expenses					
Repairs and Maintenance expenses as a percentage of Capital cost					

Petitioner

FORM-6D

Details of Administrative and General Expenses Name of LDC/:

Sl. No.	Description	Actual for previous five Financial Year (Rs in lakh)	Current Financial Year (Rs in lakh)			Estimates for Ensuing Year (Rs in lakh)
			Actual For First Six Months	Projection For Balance Six Months	Total	
Statutory Dues						
1	License Fees					
2	Rent					
3	Rates and Taxes					
4	Insurance					
5	Contribution to accident reserve fund					
6	...					
7	...					
8	Sub total :					
Communication						
9	Telephone and Trunk Call					
10	Postage and Telegram					
11	Telex, Teleprinter Charges, Telefax					
12	Courier Charges					
13	Other					
14	Sub total :					
Professional Charges						
15	Legal expenses					
16	Consultancy charges					
17	Technical fees					

18	Audit fees					
19	Other charges					
20	Sub total :					
	Conveyance and Travelling					
21	Conveyance expenses					
22	Travelling expenses					
23	Hire charges of vehicle					
24	Others					
25	Subtotal :					
	Other Expenses					
26	Electricity charges					
27	Fees and Subscription					
28	Books and Periodicals					
29	Printing and Stationery					
30	Advertisement					
31	Entertainment					
32	Watch and Ward					
33	Miscellaneous					
34	Organizational Development Expenses					
35	Donation					
36	Subtotal :					
	Material Related Expenses					
37	Demurrage and Wharf age on materials					
38	Clearing and forwarding charges					
39	Transit insurance					
40	Subtotal :					
41	Others (Specify)					
42	Total (8+14+20+25+36+40+41)					
43	Revenue recoveries, if any					
44	Net Total (42-43)					

Petitioner

FORM-7**Details of Operation expenses****Name of LDC/**

(Rs in lakh)

Sl. No.	Particulars	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	Total					

Petitioner

FORM-8**Calculation of Interest on Working Capital****Name of RLDC/**

(Rs in lakh)

Sl. No.	Particulars	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O & M expenses						
2	HR expenses						
3	Apportioned HR expense and O&M expenses for NLDC ()						
4	Receivables						
5	Total Working Capital						
6	Rate of Interest						
7	Interest on Working Capital						

Petitioner

FORM 9

LDC Development Fund (Projected)

Name of LDC: _____

(Rs in lakh) Particulars	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7
Opening LDC Development Fund						
Additions in LDC development fund during the year						
Total LDC development fund						
Less: Utilization for capital expenses						
Less : Utilization for revenue expenses						
Less : Utilization of LDCD fund to meet shortfall	Use for					
	Use for...					
Net LDC development fund as on 31st March of the year						
Average fund accumulated during the year						

Note: Break-up of additions and utilization shall be provided in separate sheet for each year

Petitioner

FORM 10**Other Income**

Name of LDC: _____

(Rs in lakh) Particulars	As on 31.3.2024	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7
Other Income – Opening						
Add : any other income						
Total Income during the year and deposited under LDCD Fund						

Petitioner

Appendix-II

Depreciation Schedule

S. No.	Asset Particulars	Depreciation Rate
A	Land under full ownership	0.00%
B	Land under lease*	
(a)	for investment in the land	3.34%
(b)	For cost of clearing the site	3.34%
C	<u>Other Assets</u>	
A	Building and Civil Engineering works	
(i)	Offices and residential	3.34%
(ii)	Containing plant and equipment	3.34%
(iii)	Temporary erections such as wooden structures	100.00%
(iv)	Roads other than Kutcha roads	3.34%
(v)	Others	3.34%
B	Transformers, Kiosk, sub-station equipment and other fixed apparatus (including plant foundation)	
(i)	Transformers including foundation shaving rating of 100 KVA and over	5.28%
(ii)	Others	5.28%
C	Solar Panel/Wind Mill	5.28%
D	Lightning arrestor	
(i)	Station type	5.28%
(ii)	Pole type	5.28%
(iii)	Synchronous condenser	5.28%
E	Batteries	15.00%
(i)	Underground cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
(ii)	Cable duct system	3.34%

F	Overhead lines including cable support systems	
(i)	Lines on fabricated steel operating at terminal voltages higher than 66 kV	3.34%
(ii)	Lines on steel supports operating at terminal voltages higher than 13.2 kV but not exceeding 66 kV	5.28%
(iii)	Lines on steel on reinforced concrete support	5.28%
(iv)	Lines on treated wood support	5.28%
G	Meters	5.28%
H	Self-propelled Vehicles	9.50%
I	Air Conditioning Plants	
(i)	Static	5.28%
(ii)	Portable	9.50%
J (i)	Office furniture and furnishing	6.33%
(ii)	Office equipment	6.33%
(iii)	Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
(iv)	Street Light fittings	5.28%
K	Apparatus let on hire	
(i)	Other than motors	9.50%
(ii)	Motors	6.33%
L	Communication equipment	
(i)	Radio and high frequency carrier system	15.00%
(ii)	Telephone lines and telephones	15.00%
M	I. T equipment	15.00%
N	Software	15.00%
O	Any other assets not covered above	5.28%

*The salvage value of lease land shall be as provided in the lease agreement.

Petitioner

Appendix-III**(In Compliance of Regulation 5)**

- 1. Name of the entity** (in bold letters):
- 2. Registered office address:**
- 3. Region in which registration is sought:**
 - i. North- eastern
 - ii. North
 - iii. East
 - iv. West
 - v. South
- 4. User category:**
 - i. Generating Station
Sub Category – Hydro, Thermal, Nuclear, Renewable-Wind/Solar/Hybrid, Captive generating Plant, Renewable Power Park developers, Standalone Storage System
 - ii. Seller
 - iii. Buyer
 - iv. Bulk Consumer
 - v. Transmission Licensee
 - vi. Distribution Licensee
 - vii. Trading Licensee
 - viii. Power Exchange
 - ix. Standalone Storage system QCA / Aggregators
 - x. SNA
 - xi. Others
- 5. User details** (as on 31st March of last financial year):
 - I. Category – generating Station**
 - i. Total Installed Capacity

- ii. Quantum of GNA granted (MW)
- iii. Points of connection to the ISTS:

Sl. No.	Point of connection	Voltage level (kV)	Number of Special Energy Meters (Main) installed at this location

II. Category - Seller/Buyer/Distribution Licensee/ Bulk Consumer/ SNA/ QCA

- i. Quantum of GNA granted (MW)
- ii. Points of connection to the ISTS:

Sl. No.	Point of connection	Voltage level (kV)	Number of Special Energy Meters (Main) installed at this location

III. Category – Transmission Licensee (inter-State)

- i. Sub-Stations

Sl. No.	Substation Name	Number of transformers	Total Transformation Capacity or Design MVA handling capacity if switching Station

- ii. Transmission lines: (line wise details to be given)

Sl. No.	Voltage level (kV)	Number of transmission lines	Total Circuit-Kilometers

IV. Category: Power Exchange / Trading License: Please specify details

V. Category (Others): Please specify details.

6. Contact person(s) details for billing related to [...] LDC:

- i. Name:
- ii. Designation:
- iii. Telephone No:
- iv. E-mail address:
- v. Postal address:

7. Other Details:

- i. PAN No.:
- ii. iGST No.:
- iii. Bank Account No.:
- iv. Bank Name and Address:
- v. MICR No:

The above information is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Authorized Representative

Place:

Name:

Date:

Designation:

Contact number:

Appendix-IV

Assessment of Key Performance Indicators for NLDC

Name of NLDC: _____ Performance Year: _____

Category	Overall weightage	Sr. No.	Key Performance Indicators	Weightage
(A) Ensuring Grid Reliability	25	i	Estimation of Reserves	20
		ii	Finalization of Security Constraint Unit Commitment (SCUC) and Security Constrained Economic Despatch (SCED), and publishing the same on its website	20
		iii	Deployment of Primary, Secondary and Tertiary Ancillary Services	20
		iv	Resource Adequacy Plan	20
		v	Monitoring and Regulating Deviations by entity from their schedule	10
		vi	Monitoring of Market Operations and related activities	10
(B) Regulatory Compliance and Stakeholder's satisfaction	15	i	Compliance with directions through Order within the stipulated timeline	20
		ii	Timelines for submission of information sought	20
		iii	Compliance with Regulations	20
		iv	Timelines of finalization of procedure under the various Regulations	10
		v	Assessment of feedback received from stakeholders	20
		vi	Running of shadow pilot/ sandbox and adherence to timelines	10
(C) Internal Process	10	i	Availability of Decision Support System – SCADA	40
		ii	ISO Certification	20

		iii	Process Documentation – Black Start, Reactive Power	40
(D) Grid Operation and Market functions	40	i	Facilitating power system and market functioning <ul style="list-style-type: none"> • Power Market transaction (Collective and Bilateral), REC, ESCerts • Power System Functioning: Calculation and reporting of FRC, declaration of transmission losses, stakeholder meetings including cross border 	20
		ii	Calculation of transmission charges as per specified timeline under CERC (Sharing of inter-State transmission charges and losses) Regulations 2020	20
		iii	Information dissemination <ul style="list-style-type: none"> • ATC/TTC • Transactions scheduled 	20
		iv	Timely Preparation of accounts <ul style="list-style-type: none"> • Interconnection meter error reporting • Ancillary Services • SCUC and SCED 	10
		v	Submission of self-audit report in line with the Monitoring and Compliance Code of IEGC 2023	15
		vi	Daily demand estimation in line with the Operating Code of IEGC 2023	15
			10	i

(E) Learning and Growth		ii	Lessons learnt and knowledge dissemination by way of data intensive reports	30
		iii	Adequacy of HR - % of certified operators among eligible operators	20
		iv	<ul style="list-style-type: none"> • Capacity Building • No. of man-days per year per eligible employee • FOLD Meetings/Workshops/Annual Conference of LDCs and Regulators	20
Total	100			

Assessment of Key Performance Indicators for RLDC

Name of RLDCs: _____

Performance Year: _____

Category	Overall weightage	Sr. No.	Key Performance Indicators	Weightage
(A) Ensuring Grid Reliability	25	i	Estimation of Reserve	20
		ii	Optimization of scheduling inter-alia through SCED and Running SCUC for regional entity generating stations	20
		iii	Deployment of Primary, Secondary and Tertiary Ancillary Services	20
		iv	Forecast of demand, generation from wind, solar, ESS and Renewable Energy hybrid generating stations that are regional entities	20
		v	Monitoring and Regulating Deviations by entity from their schedule	20
(B) Regulatory Compliance and Stakeholder's satisfaction	15	i	Compliance with directions through Order within the stipulated timeline	20
		ii	Timelines for submission of information sought	20
		iii	Compliance with Regulation	30
		iv	Assessment of feedback received from stakeholders	30
(C) Internal Process	10	i	Availability of Decision Support System – SCADA	40
		ii	ISO Certification	20
		iii	Process Documentation – Black Start, Reactive Power	40

(D) Grid Operation and Market functions	40	i	Computation of β (Average Monthly Frequency Response Performance) for generating stations as per Tariff Regulation 2024	15
		ii	Facilitating power system and market functioning <ul style="list-style-type: none"> • Power Market transactions (Collective and Bilateral), REC, ESCerts • Power System Functioning: Calculation and reporting of FRC, declaration of transmission losses, stakeholder meetings including cross border 	20
		iii	Maintain system reliability <ul style="list-style-type: none"> • FDI • VDI • Maintenance shutdown coordination 	20
		iv	Information dissemination <ul style="list-style-type: none"> • ATC/TTC • Transactions scheduled • 	15
		v	Timely Preparation of accounts <ul style="list-style-type: none"> • Interconnection meter error reporting • Ancillary Services • SCUC and SCED 	10
		vi	Submission of self-audit report in line with the Monitoring and Compliance Code of IEGC 2023	10
		vii	Daily demand estimation in line with the Operating Code of IEGC 2023	10

(E) Learning and Growth	10	i	New technology adoption / R&D	30
		ii	Lessons learnt and knowledge dissemination by way of data intensive reports	30
		iii	Adequacy of HR - % of certified operators among eligible operators	20
		iv	<ul style="list-style-type: none"> • Capacity Building • No. of man-days per year per eligible employee • FOLD Meetings/Workshops/Annual Conference of LDCs and Regulators	20
Total	100			

Appendix-V

Human Resource Requirement - Projection for Control Period: _____**I. Level Wise Projected Manpower**

Grade	Description	Year-1	Year-2	Year-3	Year-4	Year-5
Board	Director					
E9	Executive Director					
E8	General Manager/ Sr. General Manager/ Chief General Manager					
E7	Dy. General Manager/ Sr. Dy. General Manager					
E5-E6	Manager/ Chief Manager					
E3-E4	Executive Trainee/ Asstt. Manager/ Dy. Manager					
E2	Engineer/ Officer					
TOT-E	Total Executives					
NE	Supervisor/ Junior Engineer/ Workmen					
E/NE	Ratio of Executives to Non-Executive = (TOT-E)/ (NE)					

II. Number of personnel in Load Despatch Centre having valid certificates (as on 31st March of respective year)

S. No.	Particulars	Year-1	Year- 2	Year-3	Year-4	Year-5
A	Certified executives- Basic level					
B	Certified executives - Specialist					
F	Certified executives- Management level					
G	Total number of certified executives					
H	Total number of executives					